PROF. NAUNIHAL SINGH: Sir, everything should be pointed out and it should be recorded so that it could be seen by the Chairman.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): That is what I have said.

PROF. NAUNIHAL SINGH: There is no need for making a personal request to the Chairman. The objections should be recorded and let it go to the Chairman in due course.

THE STATE OF PONDICHERRY BILL, 1992—CONTD.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Shri O.P. Kohli did not complete his speech last time. So, he will continue.

श्री ओ० पी० कोहली (दिल्ली): उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र श्री नारायणसामी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं क्योंकि यह विधेयक संविधान के संघात्मक ढांचे की कल्पना के अनुरूप है। मैं इस विधेयक का इसलिए भी समर्थन कर रहा हूं कि इस विधेयक में पांडिचेरी के लोगों की आकांक्षाएं और आशाएं प्रतिबिम्बित होती हैं। आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व होता है। मैं इस बिल का समर्थन इसलिए भी कर रहा हूं कि यह बिल जितना पांडिचेरी के लिए महत्वपूर्ण है उतना ही यह दिल्ली के लिए भी प्रासंगिक है। पांडिचेरी और दिल्ली में कई समानताएं हैं। दोनों ऐतिहासिक नगर हैं। दोनों के साथ स्वतंत्रता का इतिहास जुड़ा हुआ है। स्वातंत्रय सेनानियों, कार्यकर्ताओं की गतिविधियों और कार्यकलापों की भूमि पांडिचेरी और दिल्ली रही है। पांडिचेरी और दिल्ली दोनों की जनता इन राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग बराबर करती चली आ रही है। केन्द्र द्वारा उनकी मांग की उपेक्षा किए जाने से जैसे पांडिचेरी की जनता अपने को छला हुआ महसूस करती है उसी ढंग से दिल्ली के लोग भी अपने को छला हुआ महसूस करते हैं चूंकि पांडिचेरी और दिल्ली दोनों के ही लोगों की जनता की आकांक्षाओं को यह बिल एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, पांडिचेरी बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है। यह पल्लव राजवंश के राजाओं की गतिविधियों का केन्द्र रहा है। पल्लव राजवंश के राज्य के अंतर्गत यह प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्रदेश रहा है। हमारे स्वतंत्रय संग्राम के कर्मवीरों ने यहां आश्रय प्राप्त किया। योगी अरविन्द के साथ पांडिचेरी का नाम इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि यह केवल स्वतंत्रय संग्राम के कर्मवीरों की भूमि ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधकों की कर्मभूमि के रूप में भी जाना जाने लगा है। राष्ट्रकवि सुब्रह्मण्यम भारती, प्रसिद्ध संगीतज्ञ दिलीप कुमार रे जैसी महान प्रतिभाओं का भी संबंध इससे रहा है। फ्रांसीसी कला की कोमलता, सुरूचि, इसका भी इस प्रदेश के साथ जुड़ाव रहा है। यह प्रकृति का पालना है। यह कृषि प्रधान भूमि है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं का लगातार अनादर करते रहना, उपेक्षा करते रहना उचित नहीं है। यह लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप भी नहीं है।

जो विधेयक हमारे मित्र श्री वी० नारायणसामी ने प्रस्तुत किया है वह विधेयक एक पीड़ा, एक दर्द में से पैदा हुआ है और वह पीड़ा और दर्द यह है कि वहां की असम्बेली ने 8 बार यह प्रस्ताव पास किया कि पांडिचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और यह प्रस्ताव किसी एक पार्टी ने पास किया हो तो दूसरी बात है, अलग-अलग समयों पर अलग-अलग पार्टियों ने जो वहां की सत्ता में रहीं उन्होंने यह प्रस्ताव पास किया। इस प्रकार कह सकते हैं कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर पांडिचेरी की समूची जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व इस विधेयक में होता है। राज्य की सभी राजनैतिक पार्टियां इस बारे में एक राय की हैं कि इसे, पांडिचेरी को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस बिल में जो बात उठायी गयी है वह और प्रासंगिक बन जाती है जब हम यह देखते हैं कि गोआ को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, अरुणांचल को राज्य का दर्जा मिला, मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला, त्रिपुरा को राज्य का दर्जा मिला, उत्तर पूर्व के प्रायः सभी राज्यों को जिनती आबादी पांडिचेरी से भी कम है, राज्य का दर्जा मिल सकता है तो पांडिचेरी को राज्य का दर्जा क्यों न मिले, क्यों उसको बराबर केन्द्र शासित प्रदेश के रूप में कायम रखा जाए। अगर हमराज्य का दर्जा बनाने के लिए आबादी को कसौटी मानते हैं तो आबादी के क्राइटेरियन पर भी इससे छोटे राज्य राज्य का दर्जा पा सके हैं, पांडिचेरी को भी राज्य का दर्जा देना सब दृष्टि से उपयुक्त है। जब-जब वहां की जनता के द्वारा वहां की चुनी हुई असेंबली के द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव पास किया गया तो केन्द्र का एक

स्टीरियो टाइप किस्म का उत्तर आता रहा है टाइम इज़ नाट राइट, अभी समय परिपक्व नहीं है पांडिचेरी को राज्य का दर्जा देने के लिए। मैं नहीं समझता कि इस स्टीरियो टाइप जवाब के पीछे क्या तर्क है, क्या दलील है, कब समय परिपक्व होगा, कब वहां की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने की ओर केन्द्र ध्यान देगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, जिन कारणों से पांडिचेरी को राज्य का दर्जा दिया जाना आवश्यक है उन कारणों में एक कारण है कि इससे पांडिचेरी के विकास की गति तीव्र होगी। इसलिए विकास का तकाजा है कि पांडिचेरी को राज्य का दर्जा दिया जाए। एक दूसरा कारण भी है कि इससे वहां के प्रशासन, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में एफीशिएंसी आएगी, कार्यकुशलता बढ़ेगी, प्रशासन अधिक सुचारू रूप से चल सकेगा। इस कारण से भी इसे राज्य का दर्जा दिए जाने की जरूरत है। आज पांडिचेरी का शासन लगभग ढाई हजार किलोमीटर की दूरी से दिल्ली से चलता है। होम मिनिस्ट्री पांडिचेरी का शासन चलाती है। वर्तमान व्यवस्था के कारण कई विचित्र परिस्थितियां पैदा हुई हैं। उदाहरण के तौर पर वहां की असेंबली में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, वे अपने को एकदम कोई प्रभावहीन, इनइफैक्टिव मानते हैं। कोई उनकी जवाबदेही नहीं, कोई एकाउंटेबिलिटी नहीं। उनकी चलती नहीं। यहां तक कि वे फाईल तक देखना चाहें तो उसमें भी उनके लिए कई प्रकार की कठिनाइयां पैदा होती हैं। यह रिमोट कंट्रोल से ढाई हजार किलोमीटर की दूरी से वहां का प्रशासन चलाया जाना, गृह मंत्रालय के अधीन प्रशासन होना, यूनियन टैरेटरी कैडर के लोगों को वहां आफिसर के रूप में नियुक्त कर देना, उन पर पांडिचेरी की चुनी हुई सरकार का कोई कंट्रोल और नियंत्रण न होना वहां की सारी ब्यूरोक्रेसी और अफसरशाही केन्द्र के गृह मंत्रालय के नियंत्रण में होना, इसके कारण क्या-क्या उलझनें और दिक्कतें पैदा होती होंगी इसको वहां के मिनिस्टर, वहां के विधायक और वहां की सरकार आए दिन अनुभव करती है। राज्य के गवर्नर को बहुत अधिकार दिए गए हैं जैसे दिल्ली के लै० गवर्नर के पास बहुत अधिक अधिकार हैं और उसके परिणामस्वरूप निर्वाचित सरकार दिल्ली की सरकार भी अपने को बहुत पंगु अनुभव करती है। इसी प्रकार पांडिचेरी की सरकार भी अपने को बहुत पंगु अनुभव करती है। गवर्नर या लै० गवर्नर जो केन्द्र का प्रतिनिधि होता है उसको बहुत अधिक अधिकार दे देना और चुनी हुई सरकारों के पास अधिकार न होना यह लोकतंत्र की भावना के अनुरूप नहीं है। यह लोकतंत्र से खिलवाड़ है। पांडिचेरी के विकास के लिए जो फंड्स रखे जाते हैं वे होम मिनिस्ट्री के हेड के अंतर्गत हैं जिनको होम मिनिस्ट्री राज्य को आबंटित करती है। विकास के लिए यह जो निधि है यह राज्य को पहुंचने में विलम्ब होता है। फिर जो वहां के विकास के लिए, वहां के कल्याण के लिए स्कीमें हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, परियोजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करने में भी बहुत देरी होती है, क्योंकि छोटी-छोटी बात के लिए केन्द्र का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। मंत्रियों को, मुख्य मंत्रियों को, अफसरों को दिल्ली दौड़ना पड़ता है और हर छोटी-छोटी बात की क्लीयरेंस यहां से लेनी पड़ती है। 1990 में एक पावर प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ और इतना विलम्ब हुआ उसको आकार देने में, साकार करने में कि तब तक जो उसकी लागत है उसका सरकुलेशन हो गया। इस प्रकार की बहुत सी दिक्कतें भी वहां पैदा होती हैं।

वहां एक चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई असेंबली है, लेकिन पदों का सृजन वह सरकार नहीं कर सकती, पोस्ट क्रिएशन वह सरकार नहीं कर सकती। प्रमोशन उस के हाथ में नहीं है, सेवा की शर्तों में परिवर्तन वह नहीं कर सकती। यह सब चीजें गृह मंत्रालय के द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो कल्पना करें कि निर्वाचित सरकार के पास पदों के सृजन करने का अधिकार न हो, प्रमोशन को नियंत्रित करने का अधिकार न हो, सेवा शर्तों में वह कोई परिवर्तन या हेरफेर न कर सके, तो ऐसी सरकार की क्या स्थिति होगी? महोदय, ठीक इसी प्रकार के अनुभव के दौर से दिल्ली को भी गुजरना पड़ता है। दिल्ली और पांडिचेरी की यह पीड़ा सांझी है। ढाई हजार किलोमीटर की दूरी से प्रशासन चलाने के कारण छोटी-छोटी बातों में विलंब होता है। जो चीजें जल्दी निपट सकती हैं, वह कई वर्षों तक खिंचती रहती हैं। छोटी-छोटी बातों के लिए दिल्ली दौड़ना पड़ता है। मंत्रियों तक को आए दिन यहां आना पड़ता है। यहां तक कि शिक्षकों की नियुक्ति के छोटे-छोटे मामलों में भी क्लिअरेंस के लिए दिल्ली का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। यह स्थिति अत्यंत चिंतनीय है। महोदय, जब कोई मामला राज्य सरकार की ओर से केन्द्र सरकार के पास भेजा जाता है तो केन्द्र सरकार उस में कोई "क्वैरी" लगाकर राज्य सरकार को भेज देती है। राज्य सरकार उस क्वैरी का उत्तर केन्द्र सरकार को भेजती है। केन्द्र सरकार की ओर से फिर कोई क्वैरी लगकर राज्य सरकार को मामला भेज दिया जाता है और इस तरह राज्य सरकार और केन्द्र सरकार

के बीच वह चीज झंकौले खाती रहती है। उस में विलंब होता रहता है। इस तरह केन्द्र सरकार के पास फाइलें दबी रहती हैं। फिर गृह मंत्रालय सर्कुलर भेजता है कि पदों का सृजन रोक दिया गया है और राज्य सरकार बिल्कुल पंगु बनी उसे देखती रहती है। यहां तक कि नेशनल कैलेमिटी रिलीफ फंड भी गृह मंत्रालय के माध्यम से ही प्राप्त होता है।

फिर कानून बनाने में कितनी दिक्कतें होती हैं। राज्य सरकार किसी कानून का प्रस्ताव रखती है तो वह गृह मंत्रालय को भेजा जाता है। गृह मंत्रालय उसे कानून मंत्रालय को भेज देता है। कानून मंत्रालय उसे फिर गृह मंत्रालय को भेजता है। गृह मंत्रालय उसे राज्य सरकार को भेज देता है और इस तरह से राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच एक ऐसा कानून जोकि वहां की जनता के कल्याण के लिए, उन के हित और विकास के लिए हो सकता है, वह कानून भी राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच में झंकौले खाता रहता है। इस तरह के कानून बनाने की प्रक्रिया भी लंबी होती जाती है। उस में 'डिले' होता रहता है और कानून बनाने की गति रूक जाती है। एक इस प्रकार की दिक्कत का भी सामना उन्हें करना पड़ता है। उपसभाध्यक्ष महोदय, इसलिए पांडिचेरी राज्य के इकनॉमिक डेवलपमेंट की आर्थिक विकास का यह तकाजा है कि वर्तमान व्यवस्था को बदलकर उसे राज्य का दर्जा दिया जाए। पांडिचेरी में शक्ति-संपन्न विधान सभा हो। वह अपने निर्णय स्वयं कर सके और वह हर छोटी-छोटी बात के लिए केन्द्र के अधीन या गृह मंत्रालय के अधीन न हो। अगर वर्तमान व्यवस्था को बदला जाए, राज्य को अधिकार संपन्न बनाया जाए तो वहां का औद्योगिक विकास तेज होगा। औद्योगिक विकास में जो अड़चनें आती हैं, वह दूर होंगी और जो स्कीमें, जो परियोजनाएं वहां की जनता के कल्याण और विकास के लिए उपयोगी हैं, वह तीव्र गति से लागू हो सकेगी। इसलिए आर्थिक विकास का तकाजा यह मांग करता है कि पांडिचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। महोदय, आज यह हालत है कि पांडिचेरी का अपना अलग सर्विस कमीशन नहीं, पांडिचेरी का अलग जूडिशियल कमीशन नहीं और पांडिचेरी का अलग प्रशासनिक आयोग भी नहीं। अगर पांडिचेरी को राज्य का दर्जा मिले तो वह अपनी यह सब व्यवस्थाएं भी खड़ी कर सकता है और इस प्रकार से अपने प्रशासन को अधिक चुस्त, अधिक एफीशिएंट और अधिक कारगर बना सकता है। महोदय, जिस प्रकार की परिस्थिति इस समय पांडिचेरी में मौजूद है, उस में वहां पर हुकूमत वास्तव में चुने हुए प्रतिनिधियों की नहीं बल्कि सिविल सर्विसेस के आफिसर्स की है। यूनियन टैरिटरी कैडर के आई०ए०एस० ऑफिसर्स की है। इन में से बहुत से बाहर से आते हैं, बाहर से भेजे जाते हैं। उन पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। यह बाहर से गए हुए ऑफिसर्स वहां कुछ महीने काम करने के बाद फिर वापिस लौटने की जोड़-तोड़ बिठाने लग जाते हैं। उन की इच्छा पांडिचेरी से बाहर किसी और प्रदेश में, बेहतर प्रदेश में जहां कि अधिक बेहतर सुविधाएं मिलती हों, वहां भागने की होती है

3.00 P.M.

और इस सबका परिणाम यह होता है कि प्रशासन की कार्यकुशलता पर इसका बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पद रिक्त पड़े हुए हैं, उन पदों को भरवाने के लिए राज्य सरकार को केन्द्र सरकार का दरवाजा बार-बार खटकाना पड़ता है और बहुत से पदों के रिक्त पड़े रहने पर वहां के प्रशासन पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। इसी प्रकार, उपसभाध्यक्ष महोदय, पांडिचेरी में जो वर्तमान व्यवस्था है, केन्द्र शासित प्रदेश वाली व्यवस्था है, इस व्यवस्था का वहां की डेवलपमेंट पर क्या परिणाम हो रहा है, वहां के प्रशासन पर क्या परिणाम हो रहा है, वहां के जन-जीवन पर क्या परिणाम हो रहा है, वहां के लोगों की भावनाओं पर क्या परिणाम हो रहा है और कुल मिलाकर हम कल्पना करें दो पांडिचेरियों की—एक केन्द्र शासित पांडिचेरी है और एक शक्ति सम्पन्न, अधिकार सम्पन्न राज्य वाली पांडिचेरी है—और देखें कि इन दोनों में कौन सी व्यवस्था, कौन सा अरेंजमेंट बेहतर होगा तो निश्चित रूप से पांडिचेरी को एक पूर्ण राज्य का जर्जा देकर, वहां की जनता को अपनी आशाओं-आकांक्षाओं के अनुरूप अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन चलाने की व्यवस्था करना बेहतर होगा।

महोदय, हमारे संविधान में संघात्मक ढांचे की कल्पना की गई थी। संघात्मक ढांचे की कल्पना का सीधा सा उद्देश्य यही है कि जो स्थानीय भावनाएं हैं, वे वहां के राज्य प्रशासन में परिलक्षित हो सकें किन्तु यूनियन टेरिटरी के नाम पर हम उन राज्यों को, जिनका क्लेम बनता है एक पूर्ण राज्य का दर्जा पाने का, उनके इस क्लेम को बार-बार नकारते चले आ रहे हैं। इसके कारण जनता के मन में कुंठा पैदा होती है, हताशा पैदा होती है, गुस्सा पैदा होता है जो आन्दोलनों के रूप में परिलक्षित होता है। पांडिचेरी की स्थिति के साथ बहुत समानता रखने वाली स्थिति दिल्ली की है। दिल्ली में

उपराज्यपाल हैं केन्द्र के प्रतिनिधि के रूप में। दिल्ली को जब विधान सभा देने का बिल पास हुआ, कानून पास हुआ तो उसमें जो राज्यपाल, उपराज्यपाल के अधिकारों का वर्णन है, अगर हम उसको पढ़ें तो हम देखते हैं कि उपराज्यपाल को तो बहुत से अधिकार दे दिए गए हैं और निर्वाचित सरकार के मुख्य-मंत्री को छोटी-छोटी बात के लिए भी उपराज्यपाल से क्लीअरेंस लेनी पड़ती है। दिल्ली में निर्वाचित सरकार है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था केन्द्र के अधीन है। जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से, मुख्य मंत्री से, विधायकों से जवाबदारी मांगती है लेकिन पुलिस उनके अधीन नहीं है, कानून और व्यवस्था उनके अधीन नहीं है और लोग समझते हैं कि कानून और व्यवस्था के लिए ये जिम्मेदार हैं। दिल्ली में छोटी-छोटी बातों के लिए—सड़कों की पटरियों पर अतिक्रमण होता है, कब्जा होता है, उसको दूर करना है, उसमें कई विभाग आ जाते हैं, डी०डी०ए० का विभाग आ जाता है, अब डी०डी०ए० पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण नहीं है, भूमि का विकास दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है, तो जो स्थिति पांडिचेरी की है वैसी ही स्थिति दिल्ली की है। छोटी-छोटी बातों के लिए केन्द्र का दरवाजा खटखटाना, गृह मंत्रालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है और उसके कारण डिले होता है और उसके कारण प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

[उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा) पीठासीन हुईं]

ये सारी परिस्थितियां बहुत तकलीफ देने वाली है।

इसलिए, उपसभाध्यक्ष महोदया, हमारे मित्र श्री वी० नारायणसामी ने पांडिचेरी को जो राज्य का दर्जा देने का विधेयक रखा है, वह विधेयक सब दृष्टियों से उचित है—संवैधानिक दृष्टि से भी उचित है, जन-भावनाओं की दृष्टि से भी उचित है, लोकतांत्रिक तकाजे की दृष्टि से भी उचित है, आर्थिक विकास की दृष्टि से भी उचित है और दिल्ली के लिए बहुत प्रासंगिक है और उन प्रदेशों के लिए भी, जो आज केन्द्र शासित प्रदेश होने के नाते केन्द्र की गिरफ्त में घुटन महसूस कर रहे हैं, बहुत ही प्रासंगिक है। इसलिए मैं श्री वी० नारायणसामी जी के इस विधेयक का पूरे दिल से समर्थन करता हूं और इस सदन से यह अपील करते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं कि इस विधेयक को पूरे का पूरा सदन समर्थन दे और केन्द्र सरकार इस विधेयक को स्वीकार करे। धन्यवाद।

DR. B.B. DUTTA (Nominated): Madam, I rise to support the Bill moved by hon. Shri Narayansamiji seeking to establish the State of Pondicherry. Pondicherry has got a very distinct place in the cultural mosaic of India. Over the centuries, starting from 1673 when these villages were converted into bustling centres of trade and commerce by the French, they have developed a distinct tradition in culture, administration and all that. Lately, as has been pointed out by the mover of the Bill himself, it was further enriched by the presence of *Rishi* Aurobindo and the *Ashram* which is there in his name and then the establishment of 'Auroville' with such universal ideals.

Madam, there is nothing to oppose in the Bill in view of the fact that in India we have made some very bold and radical experiments in reorganising the States. We first started that exercise way back in 1955 after the attainment of Independence and the guiding principle for the re-organisation of States in the post-British period was the linguistic principle, i.e., States should be established on the basis of language. It is known to all, when the States Reorganisation Commission reached the North-Eastern region of the country, what happened to that principal. The linguistic principle of formation of States could not survive. There were language movements in the tribal areas and even in the non-tribal areas of Assam. Ultimately, it led to the disintegration of the composite State of Assam. Following all these upheavals the net result was this that all the major principles, besides the cardinal one i.e. the linguistic basis of the States, were thrown overboard. Today there are as many as seven States in the erstwhile Assam region. Not only the language principle was thrown out because we have got States not on the basis of language but even the economic viability criterion was also discarded. It was found that it was not possible to

satisfy the political aspirations of various ethnic communities or tribes if we put the economic viability condition for formation of States.

Earlier in the fifties, immediately after Independence, in New Delhi and in the political lobby here were strong arguments that Assam should remain one and it is all the more necessary because it is a border state and in the border area we must have a strong united and composite State instead of having too many fragmented States or territories. This argument of security was also thrown out. We have states in the North-East, like Nagaland, Meghalaya, Mizoram, etc., where the medium of instruction is English which is the language of the State and there is not a single soul whose mother-tongue is English in that area. So, what I am trying to drive home is this. With the reorganisation of States by the 1971 Reorganisation Act, we have guided ourselves entirely by expediency. To be very precise, by political expediency alone. We have not cared for the language principle in forming States. There is nothing wrong in it as the principal of decentralisation replaced. Now we are going to form more States. Just now Mr. Narayanasamy wanted to know whether the Uttarakhand Bill is coming up or not because an announcement has been made to that effect. The previous Home Minister, Shri S.B. Chavan had said, as far as State formation is concerned, there is a full stop to it; there is no question of going in for a new State. Now the new Government has come and there is a change. They are going to have new States. All these things are happening. Mr. V. P. Singh said the other day "Before you go for making a State, you try to make assessment if there are similar demands in other parts of the country and try to take all these into account and try to go by a principle so that we can solve all the problems." Pondicherry, I think, will become a peaceful State and we have no doubt about it. I am not opposing it at all. But it gives me an opportunity to remind this august House that we should be careful about certain things when introducing a Bill or drafting clauses of the Bill. First of all we have to keep in mind whether the linguistic basis of the State should remains not is to be language after what we have experienced in the North East, we should formally and finally announce that in India there is no linguistic basis for the States whatsoever. This misconception should be cleared. As it is not possible to make States on the basis of language in every part of the country. Then why should we have that impression? This impression has its own corollary. It leads to a sequence of things and are replaced in the behaviour of our administrators and politicians who are in charge of governance. So, that kind of an assumption should be erased from the minds of the people. I am not going to say, "dismantle all the States." What I am suggesting is that the State formation exercise calls for introspection. It calls or an assessment as to what our experience is in reorganising the States in the post-British period and what kind of corrections it requires before we go for another round of State formation.

The Bill is apparently a very innocent one and all the clauses can be supported. There is nothing to oppose as Mr. Narayanasamy has brought it. Our experience is that whenever we go in for smaller States the assumption is that the dominant community's language will be the medium of instruction and it will become the language of the State. When that is there, it creates a lot of problems. For example, in Pondicherry we have the Tamil community, Telugu, Malayalam, English and French communities. So, we have to make it clear because the next problem would be the language problem which will lead to linguistic conflicts and you will require more police force.

AN HON. MEMBER: And the Home Minister has to send it.

DR. B.B. DUTTA: The Home Minister has to send the forces but they would not be readily available at that moment because those would be pressed into service elsewhere. One has to be very clear. Our experience so far has been horrible.

Geographically it has a very small area of 490 sq. kms. But you have got Karaikal about 130 kms. away from Pondicherry itself, which is a major centre of population, as an enclave in Tamil Nadu. You have got Mahe a little far off. So, all these things should be carefully studied if we touch the idea of giving Statehood. We have to study all these things carefully so that the things are structured in such a way that peace and prosperity can come and there is efficiency in the governance and administration because small areas can be governed more efficiently But, our experience has been different. We expected that the small States would be better-governed and better-anministered. But, what do we find today? You will find in a small State—I am not going to mention the name—the Plan expenditure is Rs. 300 crores and an amount of Rs. 50 crores is meant for the police. In another State, it is Rs. 92 crores. A major reorganisation took place by disintegrating the erstwhile Assam. Now in what is left of Assam today, there is an expenditure of nearly Rs. 500 crores on police—forget about the para-military and military induction. So, this is the result after a massive and radical reorganisation of that State.

We have to study it very carefully; we have to assess it very carefully before we take the next step.

Another thing, Madam,...*(Interruptions)*. . . Insurgency is also there. But, here I am telling you another thing. I remember in sixties and seventies—because the Home Ministry does not keep a library for their own records; otherwise they could have found out that—there were very nice studies made by the officials on the small State syndrome and there you find the problem of localism and regionalism. When the constituents are small in number, five thousand six hundred or seven thousand voters, you find it very difficult to win elections or even fight elections because you cannot foucus on nationasl issues. They pick up the village issues or pachayat issues, so to say. We find that MLAs are being elected on clan affiliation, on tribe affiliations, this affiliation and that affiliation. This leads to clan clashes and tribe clashes. Ultimately, this kind of pulls and pushes bring down the level of governance; it brings down the level of administration because the Government and the administration are not informed of what is happening in those areas, in their respective constituencies. I think some lession should be taken from these exercises. Madam, what I would like to impress upon this House is this. In the State of Assam, the Bodo movement is going on. Bodos are expecting some autonomy and they have already got something in this regard. Now, because the Bodo population is scattered over here and there, what the Bodo militant group is doing is that they are cleansing the non-Bodo population from those areas which they are expecting to be theirs. Ethnic cleansing has started there which is a very new phenomenon. It has manifested itself in various States — at least, I remember three States and Manipur is one of them. So, what I am telling you is this that these are the problems that we are facing in the areas where you have given small States and which were supposed to be very efficient States, where supposed to be efficiently governed because their size is small

and the Ministers can directly look after the problems of the people; that in small districts where the officers are running the law and order administration, besides the economic administration, they can directly attend to the needs of the people. But, nothing has happened. Things are multiplying. A top-heavy administration is developing. Earlier there was an IGP. But, now there is one DGP and five

IGPs are working under him. This department, that department, everything is increasing, but the net result is very dismal. So, I think before you give Uttarakhand—even I support this Pondicherry Bill because it has got a very distinct cultural position and location, and, otherwise also I am not against small States at all—I would impress upon the Home Minister, who is sitting here, that for God's sake he may make an assessment. This is the question that has to be considered. You make an assessment of the impact on the size of the State, the size of the population, the geographical size, the size of the population, the size of the constituency of the Legislative Assembly, what their is, good effect, bad effect, etc. Please, for God's sake, do make an announcement that the linguistic principle does not inform anything, because if that assumption is there then you cannot stop fighting as dominant community will think "it is our State". Already, States are identified with the name of their major community. it is their State, others are second class, third class citizens. Madam, we did not fight for an independent India of this sort. I do not think those who fought for freedom, those who laid down their lives, never thought that in India, in a domocratic, secular India, that unstated categorisation of citizens would take place, where some will be first grade citizens, some will be second grade and some will be third grade citizens. So, when you touch upon this theme of State, whether or not to add a few more States to the list, I think, the hon. Home Minister should be very careful. I was surprised, I was taken aback, that earlier the Government took a very rigid stand as far as formation of new States is concerned, the earlier the Government's stand was—'Do not talk about anything now. We are already having a bunch of problems by going in for more States and small States.' Now, I suddenly found that the Prime Minister announced from the Red Fort about this and the hon. Home Minister gave a clarification that he was present at the Cabinet meeting and he endorsed it. I think already the Pandora's box is going to be opened. Madam, with these words, I would support the Pondicherry Bill. But any Bill that comes up for discussion must take care of the problems I have pointed out because we do not want that there should be more refugees from one State to another; there should be migration of population from one State to another. We do not like to see this kind of a thing. And, in this process, the criminals become politicians and politicians become partly criminals, otherwise, they cannot win elections, and a lot of other things get mixed up. This is the spectacle today. I think the only answer is not just to create more State. With these few words, I conclude my observations. Thank you, Madam.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMALA SINHA): Shri Naresh Yadav; absent. Now, Shri Jalaludin Ansari.

श्री जलालुदीन अंसारी (बिहार): मैडम, श्री वी० नारायणसामी जी ने जो पांडिचेरी राज्य विधेयक पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। समर्थन इसलिए करता हूं कि हर राज्य की जनता की अपनी इच्छायें और आकांक्षायें हैं। वह चाहती है कि हम अपना प्रशासन और शासन सही ढंग से चलायें। इसके लिए उनको अवसर मिलना चाहिए। यह अवसर पांडिचेरी राज्य के लोगों को तब तक नहीं मिल सकता है जब तक पांडिचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा संवैधानिक तौर पर नहीं मिल जाता है। पांडिचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टैरेटरी है। इसलिए उसके अधिकार बहुत ही सीमित हैं; एक पूर्ण राज्य की तरह उसके अधिकार नहीं हैं। न उनका अपने आफिसर्स चयन करने का आयोग है और न पुलिस पर उनका अपना अधिकार है। उनकी पुलिस भी केंद्र के माध्यम से काम करती है और उनका खर्चा भी केंद्र सरकार दिया करती है। इस तरह के उनके अधिकार बहुत ही सीमित हैं। वहां विधान सभा है लेकिन विधान सभा को सारे कानून बनाने का, सारे विधेयक लाने का अधिकार नहीं है। उनको केन्द्र से ही जब हरी झंडी मिलेगी तब वह कोई कानून सीमित दायरे में ही बनाएंगे। इसलिए वहां की जनता की इच्छा और

आकांक्षा है कि पांडिचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। वहां पर सभी दलों के लोग इस बात से सहमत है कि पांडिचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिये। इस दृष्टि से इस पर कोई विभेद नहीं है, आम सहमति है। मैं तो जानता हूं कि प्राइवेट मैम्बर्स बिल का हश्र क्या हुआ करता है। इस सदन को मालूम है। लेकिन इस बिल के माध्यम से हम केन्द्र सरकार से मांग करते हैं कि पांडिचेरी की जनता की भावनाओं की कद्र करते हुए आप उसको पूर्ण राज्य का दर्जा देने संबंधित विधेयक लाएं। पांडिचेरी की जनता की जो सांस्कृतिक विरासत है, वह धनी है, महान भी है इसलिए उनके विकास के लिए यह आवश्यक है कि वे पूर्ण राज्य के रूप में अपने को संचालित करने के हक को प्राप्त कर लें और वहां की सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक विकास के लिए योजना अपनी इच्छा के अनुसार बना सकें। इसलिए यह जरूरी है और यदि उनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है तो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रशासनिक और शैक्षणिक विकास को ध्यान में रखते हुए अपनी योजना बनाएंगे, केन्द्र से भी मदद मांगेंगे जो अन्य राज्यों को मिला करती है। लेकिन यह अधिकार उनको मिल जाता है तब वह अपने राज्य के चहुमुखी विकास के लिए सोच सकते हैं, उसके अनुरूप योजना बना सकते हैं, उसके अनुरूप अपने राज्य में संसाधन जुटा सकते हैं, केन्द्र से भी मदद ले सकते हैं। उस राज्य का चहुमुखी विकास तभी संभव है जब उनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। इस सवाल पर सभी दलों में सहमति है इसलिए मैं केन्द्र सरकार से इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कभी कभी आप गलती करते हैं, जनता की भावनाओं की आप कद्र नहीं करते हैं जिसको ले कर के तरह तरह की गड़बड़ी पैदा कर दी जाती है जाने अनजाने में। कब तक आप उनकी भावनाओं को आप दबाते रहेंगे? कई उत्तर पूर्व राज्यों को आप पूर्ण राज्य का दर्जा दे चुके हैं जिसकी चर्चा हमारे पूर्व वक्ता साथियों ने की है, पांडिचेरी को अगर आप पूर्ण राज्य का दर्जा दे देते हैं तो उससे क्या नुकसान होने वाला है? अभी हमारी संयुक्त मोर्चा की सरकार ने एलान किया है कि हम उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने जा रहे हैं जिसका हम तमाम लोगों ने स्वागत किया है। अलग राज्य आप बना सकते हैं और यह एक राज्य है जो वर्षों से केन्द्रशासित प्रदेश है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा देने में कौन सी प्रशासनिक कठिनाइयां हैं? हम समझते हैं सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। पांडिचेरी को तमाम जनता की भावनाओं की कद्र करते हुए पांडिचेरी को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। इससे संबंधित बिल केन्द्र सरकार लाएगी, यह आश्वसन इस सदन को दिया जाना चाहिए। हमारे माननीय मंत्रीगण बैठे हुए हैं, गृह मंत्री भी हैं और अन्य मंत्री भी बैठे हुए हैं।

हम आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं। हमारी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो पांडिचेरी की यूनिट है उसकी भी स्पष्ट राय है अन्य पार्टियों के साथ कि पांडिचेरी को...

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): CPI is supporting!

श्री जलालुदीन अंसारी: तो वह एक राय पर है कि राज्य का पूर्ण दर्जा दिया जाए और इसीलिए हम मांग करते हैं कि जब तमाम लोगों की सहमति है, जनता की इच्छा और आकांक्षा इसके अनुरूप है तो केन्द्र सरकार इस पर विचार करे और गंभीरतापूर्वक विचार करके एक बिल, एक विधेयक पांडिचेरी को अलग राज्य का दर्जा देने के लिए लाए। हम समझते हैं कि इसका बहुत अच्छा असर पांडिचेरी की जनता पर भी पड़ेगा और उनकी जो पुरानी मांग है वह भी पूरी होगी। उस राज्य के चौतरफा, चौमुखी विकास के लिए जो वे समझते हैं कि केन्द्र की वजह से हम चौमुखी विकास नहीं कर रहे हैं और वे आल राउंड डेवलमेंट की बात सोचते हैं, उनकी इच्छा है तो इसके लिए भी उनको अवसर मिलेगा। केन्द्र और राज्य का जो संबंध है वह रहेगा। इसको और भी मजबूत करने की बात है कि कैसे सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है। केन्द्र और राज्यों के संबंध मजबूत, अच्छे और बेहतर हों और दोनों को अधिकार मिले। यह भावना नहीं हो कि केन्द्र को अधिक है राज्य की कम है। इस तरह की एक सीमा निर्धारित की जाए जो आज के परिवेश में देश के बदलते हुए राजनैतिक परिवेश में आज और भी आवश्यक हो गया है कि राज्य और केन्द्र के संबंधों को पुनः यथार्थ के आधार पर पुर्नस्थापित किया जाए। इसको मजबूत बनाया जाए और एक दूसरे के संबंध काफी अच्छे बनें। ऐसा आधार अगर हम बनाएंगे तो वह संबंध काफी मजबूत होगा जिससे पूरे देश की एकता और अखंडता को भी मजबूती मिलेगी और केन्द्र राज्य के संबंध का विवाद भी सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा।

इन्हीं शब्दो के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इस पर सोच

विचार करके एक अलग विधेयक लाए ताकि पांडिचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सके।

†[شری جلال الدین "بیدار"] : میڈم - شری وی - نارائن سوامی جی نے جو پانڈیچری راجیہ ودھے یک پیش کیا ہے - میں اسکا سمرتھن کرتا ہوں - سمرتھن اسلئے کرتا ہوں کہ ہر راجیہ کو جنتا کی اپنی اچھائیں اور آکانشائیں ہیں وہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے پرشاسن اور شاسن کو صحیح ڈھنگ سے چلائیں - اسکے لئے انکو موقع ملنا چاہئے - یہ موقع پانڈیچیری راجیہ کے لوگوں کو تب تک نہیں مل سکتا جب تک پانڈیچیری کو پورن راجیہ کا درجہ قانونی طور پر نہیں مل جاتا ہے - پانڈیچیری ایک کیندر شاسیت پردیش ہے - یونین ٹیریٹری ہے اسلئے اسکے ادھیکار بہت ہی سیمت ہیں - ایک پورن راجیہ کی طرح اسکے ادھیکار نہیں ہیں - نہ انکو اپنے آفیسر چین کرنے کا آیوگ ہے - اور نہ پولیس پر انکا اپنا ادھیکار ہے - انکی پولیس بھی کیندر کے مادھیم سے کام کرتی ہے - اور اسکا خرچہ بھی کیندر سرکار دیا کرتی ہے - اسلئے اسطرح سے اسکے ادھیکار بہت ہی سیمت ہیں - وہاں ودھان سبھا ہے لیکن ودھان سبھا کو سارے قانون بنانے کا ادھیکار نہیں ہے - انکو کیندر سے ہی

جب ہری جھنڈی ملے گی تب وہ کوئی قانون سیمت دائرے میں ہی بنا پائینگے - اسلئے وہاں کی جنتا کی خواہش اور تمنا ہے - کہ پانڈیچیری کو پورن راجیہ کا درجہ دیا جائے - وہاں پر سبھی دلوں کے لوگ اس بات سے سہمت ہیں - کہ پانڈیچیری کو پورن راجیہ کا درجہ ملنا چاہئے - اس درشٹی سے اس پر کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے - عام سہمتی ہے - میں تو جانتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ممبرپل کا حشر کیا ہوا کرتا ہے - اس سدن کو معلوم ہے لیکن اس بل کے مادھیم سے ہم کیندر سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ پانڈیچیری کی جنتا کی بھاونا ؤں کی قدر کرتے ہوئے آپ اسکو پورن راجیہ کا درجہ دینے سنبندھ ودھے یک لائیں - پانڈیچیری کی جنتا کی جو سانسکرتک وراثت ہے - وہ دھنی ہے - مہان بھی ہے - اسلئے انکے وکاس کیلئے یہ آوشیک ہے - کہ پورن راجیہ کے روپ میں اپنے کو سنچالت کرنے کے حق کو پراپت کرلیں - اور وہاں کی سامانجک آرتھک - سانسکرتک اور تعلیمی وکاس کیلئے یوجنا اپنی خواہش کے مطابق بنا سکیں - اسلئے یہ ضروری ہے کہ اگر انکو پورن راجیہ کا درجہ مل جاتا ہے تو سامانجک - آرتھک - سانسکرتک -

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

کی سرکار نے اعلان کیا ہے۔ کہ ہم "اتراکھنڈ" کو الگ راجیہ بنانے جا رہے ہیں۔ جسکا ہم تمام لوگوں نے سوا گت کیا ہے۔ الگ راجیہ آپ بنا سکتے ہیں۔ اور یہ ایک راجیہ ہے۔ جو درشنوں سے کیندر شاست پردیش ہے۔ اسکو پورن راجیہ کا درجہ دینے میں کون سی پرشاسنک کٹھنائیاں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سرکار کو اس پر گمبھیرتا سے وچار کرنا چاہیئے۔ پانڈیچیری کی تمام جنتا کی بھاونا ؤں کی قدر کرتے ہوئے پانڈیچیری کو الگ راجیہ کا درجہ دیا جائے۔ اس سے سمبندھت بل کیندر سرکار لائیگی۔ یہ آشوا سن اس سدن کو دیا جانا چاہیئے۔ ہمارے ماجیہ منتری گن بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم آپکا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتے ہیں۔ ہماری پارٹی۔ بھارتیہ کمیونسٹ پارٹی کی جو پانڈیچیری کی یونٹ ہے اسکی بھی پیشکش رہی ہے۔ دوسری پارٹیوں کے ساتھ کہ پانڈیچیری کو۔۔۔۔

شری وی نارائن سوامی: سمی پی آئی۔ از سپورٹنگ۔

شری جلال الدین انصاری: تو وہ ایک رہنے پر ہیں کہ راجیہ کا پورن درجہ دیا جائے اور اسلئے ہم مانگ کرتے ہیں کہ جب تمام پرشاسنک اور تعلیمی وکاس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنی یوجنا بنائیں گے۔ کیندر سے بھی مدد مانگیں گے۔ جو دوسرے راجیوں کو ملا کرتی ہے۔ لیکن یہ ادھیکار انکو مل جاتا ہے تب وہ اپنے راجیہ کے "چاہو مکھی" وکاس کیلئے سوچ سکتے ہیں۔ اسکے مطابق یوجنا بنا سکتے ہیں اسکے انوروپ اپنے راجیہ میں سنسادھن جٹا سکتے ہیں۔ کیندر سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ اس راجیہ کا "چاہو مکھی" وکاس تبھی ممکن ہے۔ جب انکو پورن راجیہ کا درجہ دیا جائے۔ اس بات پر سبھی دلوں میں سہمتی ہے۔ اسلئے میں کیندر سرکار سے اس سدن کے مادھیم سے کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی آپ غلطی کرتے ہیں۔ جنتا کی بھاونا ؤں کی آپ قدر نہیں کرتے ہیں۔ جسکو لیکر طرح طرح کی گڑبڑی پیدا کر دی جاتی ہے۔ جانے ان جانے میں۔ جب تک آپ انکی بھاونا ؤں کو دباتے رہیں گے۔ کئی اقتر پردیش راجیوں کو آپ پورن راجیہ کا درجہ دے چکے ہیں۔ جسکی چرچا ہمارے پورو ولکا۔ ساتھیوں نے کی ہے پانڈیچیری کو اگر آپ پورن راجیہ کا درجہ دیدیتے ہیں تو اس سے کیا نقصان ہونے والا ہے۔ ابھی ابھی ہماری سرکار سنیکت مورچے

بستار تھے آدھار پر نیا اسٹرکچر کیا جائے۔ اسکو مضبوط بنایا جائے۔ اور ایک دوسرے کے سنمبندھ کافی اچھے بنیں۔ ایسا آدھار اگر ہم بنا پائینگے تو وہ سنمبندھ کافی مضبوط ہوگا۔ جس سے پورے دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کو بھی مضبوطی ملیگی۔ اور کیندر راجیہ کے سنمبندھ کا وواد بھی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائیگا۔ انہی شبدوں کے ساتھ میں اس بل کا سمرتھن کرتے ہوئے سرکار سے مانگ کرتا ہوں کہ سرکار اس پر سوچ وچار کرکے ایک الگ ودھے یک لائے تاکہ پانڈیچیری کو پورن راجیہ کا درجہ دیا جاسکے۔ [ختم شد]

SHRI VAYALAR RAVI (Kerala): Madam Vice-Chairman, I support the Bill-not because of my love for Mr. Narayanasamy but because of my love for Mahe which lies between Pondicherry and Kerala.

Madam, if you look at the map of India after the re-organisation of the States on linguistic basis, the Government had taken a decision to create new States and had also taken a decision to give full-fledged Statehood to Union Territories in the Eastern sector, and now only two Union territories remain, mainly, Delhi and Pondicherry. But why Pondicherry has not so far been given full Statehood is yet to be understood. I do not know. I have asked Mr. Narayansamy and some others as to what happened and why, but no one could answer this question. By giving Statehood, as my hon. friend here has suggested, the Government is going

لوگوں کی سمپتی ہے۔ تو جنتا کی خواہش اور تمنا اسکے مطابق ہے۔ تو کیندر سرکار اس پر وچار کرے اور گمبھیرتا پوروک چلا کر کے ایک بل۔ ایک ودھے یک پانڈیچیری کو الگ راجیہ کا درجہ دینے کیلئے لائے۔

ہم سمجھتے ہیں کہ اسکا بہت اچھا اثر پانڈیچیری کی جنتا پر بھی پڑیگا۔ اور انکی جو پرانی مانگ ہے وہ بھی پوری ہوگی۔ اس راجیہ کے چوراہے "چاہو مکھی" وکاس کیلئے جو وہ سمجھتے ہیں کہ کیندر کی وجہ سے ہم "چاہو مکھی" وکاس نہیں کر رہے ہیں۔ اور وہ آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کی بات سوچتے ہیں۔ انکی خواہش ہے تو اسکے لئے بھی ان لوگوں کو موقع ملیگا۔ کیندر اور راجیہ کا جو سنمبندھ ہے وہ بھی رہیگا۔ اسکو اور بھی مضبوط کرنے کی بات ہے۔ کہ کیسے "سرکاریہ کمیشن" کی رپورٹ پر سرکار وچار کر رہی ہے۔ کیندر اور راجیوں کے سنمبندھ مضبوط اچھے اور بہتر ہوں۔ اور دونوں کو ادھیکار ملیں۔ یہ بھلونا نہیں ہوگا کہ کیندر کو ادھک ہے راجیہ کو کم ہے۔ اسوچ کی ایک سیمانر دھارت کی جائے۔ جو آج کی پرویش میں پرویش کے بدلتے ہوئے رج نیتک پری دشیہ میں آج اور بھی آوشیک ہو گیا ہے۔ کہ راجیہ اور کیندر کے سنمبندھ ہوں کو دوبارہ

to lose nothing but the people will gain something.

Now look at the Chief Minister of Pondicherry. He is a second-class Chief Minister, because he does not have powers like the Chief Minister of any other State. He is not wielding any power because he is under, I should say, day-to-day administrative control of the Lieutenant Governor. Naturally, even while calling him as Chief Minister, I think, there is something wrong with the nomenclature of Chief Minister.

Apart from that, even though the population of Pondicherry may be one million or a little over one million, the people of Pondicherry have been demanding Statehood for a long time now and denying Statehood to them has no justification. That is why I support the Bill.

I do not want to go in detail into the topographical importance, etc., of Pondicherry, but if we take into consideration the grants and other facilities given by the Government, compared to the assistnce extended by the Government of India to the North-Eastern States and Kashmir, I believe that Pondicherry is getting a very, meagre amount. Other people may think that Pondicherry, being a Union Territory, is getting a lot of benefits, but, as far as my knowledge goes, it is very very meagre. So, it does not benefits.

Now, coming to Delhi, Madam, I am not equating Pondicherry with Delhi. Delhi is the capital of the nation. It has a peculiar character. It has characters of different States, different languages and different cultures, and persons from different parts of the country come to Delhi. It has a metropolitan character. Even the Americans have not made Washington D.C. a State as such. So, I am not equating Delhi with Pondicherry. Had a Bill giving a full-fledged statehood to Delhi come, I would have opposed it. Today, I believe that the statehood of Delhi has changed the whole situation here because a lot of people coming from the South and the East are feeling suffocated and insecure. Delhi is our capital, the capital of the entire Indian people. So, it cannot be simply confined to a small section of the people. Delhi belongs to everybody. That is why I am not equating Delhi with Pondicherry.

Then, coming to the States Reorganisation Commission Report, as early as in 1957 or in 1956, Sardar K.M. Panicker, one of the Members of the Commission, was wise enough to suggest smaller States. He categorically dissented that U.P. should be devided into two, that it was not advisable to have big States like U.P. and that they should be divided.

Now the question has arisen. Definitely it is convenient. Especially the Panchayati Raj Institutions have proved that when we give power to the poor people, people who are down below, in all respects, it is administratively more convenient and more efficient for development. There will be more people's partcipation. The more bigger are the States, the more the bureaucratic autocracy will prevail. What is happening in Bihar, and what is happening in Uttar Pradesh? The political parties have changed. The political governments have changed. The bureaucracy never changes. The attitufe of the police has not changed. The police atrocities against the poor people is still continuing, whether the Congress party or the Janata Dal or the BJP, whoever it may be is in power. The bureaucracy never changes. There will be people's participation, and better governance can be done through smaller States. This is our experience.

What are the ills of the bigger States today? They are lacking development. Bihar is a State with all kinds of rich resources. You appreciate at least that Bihar has rich resources. But, how do you compare the resources it is generating with those of others? Do you have the same velocity or the same accelera-

tion of development? I say no because if you go to the southern parts of the country and then go to Bihar, you will feel that you have already come to a backward State. Why has it happened? It has happended because the will of the political leadership cannot run there, their writ cannot run because the State is very big. There is political instability in that part of the country today. The Chief Minister will not be able to visit all the districts in U.P. in one full term because, I think, there are 58 districts. They can be hardly covered even if one district is visited in one month. This is the problem. So, actually, I believe that the time has come to think in terms of having smaller States. I am not asking of the Minister to open the Pandora's Box, but I am requesting him only to examine whether it is advisable to go in for smaller States, to divide the bigger ones.

In this connection, I support the decision taken by the Government to form the State of Uttarkhand. I have got a copy of the letter written to Shri V. Narayanasamy. It states that the Government will being a suitable legislation in this regard in due course. It is only one step. So, merely forming the Uttarkhand States will not solve the problems of U.P. or Bihar. It is necessary that some areas in this part of the country have to be looked at afresh. So, I request the Home Minister that he must have a fresh look at the Sarkaria Commission Report and go in for smaller States. It will help development.

Now, a new concept of the States Reorganisation has to come in. There was a thinking at that time that the formation of the States on linguistic basis might be an administrative convenience, but thereafter there have been problems in every State. In Kerala, the people of Malabar felt that their interests were ignored. The people of Jharkhand in Bihar also felt the same thing. The people of Vidarbha also felt the development of their area was affected because of this. The people of different regions in different States were in agitation saying their area could not develop, because they were not given Statehood. This type of agitations have been going on off and on. May be, political parties are responsible for this, but, Madam, we cannot suppress the sentiments and aspirations of the people of the area. Therefore, I demand for a fresh look at the States reorganisation. But, pending that, we cannot deny the people of Pondicherry their right to Statehood, the demand for which has been pending for the last 40 years. While we are going to celebrate 50 years of our achieving independence, let us give the status of Statehood as a gift to the people of Pondicherry on this occasion. Mr. Indrajit Gupta is a sincere politician. I hope he will concede their demand along with the demand of the people of Uttarkhand and fulfil the dream of Mr. Narayanasamy, who, I think, will become the Chief Minister of the Pondicherry State. The people of Pondicherry will be grateful to this Government for this gesture.

SHRI R. MARGABANDU (Tamil Nadu): Madam, on behalf of my party, AIADMK of Tamil Nadu, I support this Bill. Though this Bill was introduced in 1992, it has taken more than four years to come before this august body for discussion.

Madam, in 1947 India got freedom from the British colonialism. Nearly 50 years ago India was under the control of the British Government. Leaders of the nation fought for the freedom of the Indian nation and ultimately we succeeded in it in 1947. But, the worst part of it is that even after 50 years of the freedom that India got, Pondicherry still remains to be under slavery, being part of the country's Central Government. Since then the people of the area are feeling that they are being treated as second class citizens. As a matter of fact, from 1970 onwards there has been a demand from the people of Pondicherry to have a separate State so that they can

claim themselves as free citizens. But they are still under the slavery of the Central Government. In 1954, when the Pondicherry Assembly was constituted, it has about 30 elected MLAs and was having the ruling party and the Opposition party. Those MLAs were the representatives of the people and they could pass resolutions.

The unfortunate thing is that it has to get the concurrence of the Lt. Governor who is like a Governor is not an elected person. He is only a nominee or an appointee of the Central Government. That nominated person has got the veto power to withhole his consent to any Resolution or Bill passed by the State Assembly. That is a very, very sorry state of affairs. From 1954 onwards the Chief Minister and his Council of Ministers, MLAs who have been elected by the people were not able to exercise their power.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Mr. Margabandu, just a minute. The hon. Home Minister, Shri Indrajit Gupta says that he has to catch a flight and he would be leaving. Instead of the Home Minister, the Law Minister would reply to this debate.

SHR SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE (Maharashtra): He can reply next time.

THE VICE-CHAIRMAN (SMT. KAMAL SINHA): The Law Minister is here, he would reply.

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam Vice-Chairman, I do not have any quarrel with the Law Minister. I would welcome him to reply. But my problwm is the hon. Home Minister as a General Secretary of the CPI.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHIR INDRAJIT GUPTA): I had resigned. I am not the General Secretary of the CPI.

SHRI V. NARAYANASAMY: Kindly hear me. Why are you in a hurry? When you were the General Secretary of the CPI, you visited Pondicherry to unveil the statue of a great leader, Shri V. Subbaiah. The State political leaders met you. As General Secretary of the CPI, you gave an assurance to them that tyour party's stand also was for Statehood. Now, I waNT TO HEAR FROM YOU AS home Minister whether you hold the same view or you have a double stand. Madam, I want the hon. Home Minister to reply to my question. I think this is the design of the Home Minister to avoid this House on this question.

श्री महेश्वर सिंह (हिमाचल प्रदेश): मैडम, अगर मंत्री महोदय स्टेटहुड का आश्वासन दे देते हैं तो हम बोलना छोड़ देंगे, ये भी आश्वासन देकर जा सकते हैं।

SHRI R. MARGABANDU: I would take very little time for my speech. Madam, as I said earlier, the Lt. Governor is a nominated person. He has got veto power over a democratic set-up. It is a very sorry state of affairs. Madam, the Lt. Governor is more powerful then the Council of Ministers and the Chief Minister. They are at his mercy. So, this sorry state of affairs should not be allowed to continue.

Madam, after 1950, when the Union Territories Act was enated, several Union Territories in our country were given Statehood. I can mention some of them. They are Manipur, Tripura, Arunachal Pradesh, Mizoram, Goa, Vindhya Pradesh, Himachal Pradesh, Meghalaya and several other Union Territories have got Statehood. The same can be extended to Pondicherry also. The population of Pondicherry is more than 10 lakhs. I think that would be sufficient for giving Statehood. As a matter of fact, they can themselves run the State administration. The taxes of the State are being taken away by the Central Government like excise duties and sales tax. A lot of money is being taken away by the Central Government. But their contribution to

the State's exchequer is negligible. So, whatever funds they can generate, that itself would be sufficient for them to run the State. When several other States have been granted Statehood, what is the difficulty in granting Statehood to Pondicherry? Even for appointments and promotions, they have to look up to the Central Government. The Central Government is already burdened with so many problems and by giving Statehood to Pondicherry, the Central Government will be relieved of this burden. In this way they can have better administration. As a matter of fact, a small State can be administered in a better way and they will prove Pondicherry to be the best administered State and there will be sufficient funds to meet the requirements. There cannot be any otherdifficulty or barrier for the Central Government to confer Statehood to Pondicherry. The hon. Home Minister is known for his independent thinking. In this way, the people of Pondicherry can also have freedom of speech, freedom of thinking and freedom of administration. With this, I support the Bill. The hon. Members from the Treasury Benches have also supported this Bill. So, it may not be difficult for the United Front Government to accept this demand by bringing forward a Government Bill itself for conferring Statehood to the State of Pondicherry, especially when it has been conferred on Uttarakhand. When the people of Pondicherry. If that is so, Mr. Narayanasamy can make arrangement for the agitation and get Statehood as the people of Uttarakhand got. But the people of Pondicherry need not goto that extent to get freedom by way of agitation against the Central Government. With these observations. I support the Bill moved by Mr. V. Narayanasamy with the hope that the Central Government will come forward with a Bill to confer Statehood to Pondicherry. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Pondicherry is already free. It is part of India. They don't need freedom. They need Statehood.

SHRI V. NARAYANASAMY: We are treated as second class citizens.

SHRI R. MARGABANDHU: That is why they want freedom. That freedom can be given to them by the Central Government. With this, I conclude my speech. Thank you.

The unfortunate thing is that it has to get the concurrence of the Lt. Governor who is like a Governor is not an elected person. He is only a nominee or an appointee of the Central Government. That nominated person has got the veto power to withhold his consent to any Resolution or Bill passed by the State Assembly. That is a very, very sorry state of affairs. From 1954 onwards the Chief Minister and his Council of Ministers, MLAs who have been elected by the people were not able to exercise their power.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Mr. Margabandu, just a minute. The hon. Home Minister, Shri Indrajit Gupta says that he has to catch a flight and he would be leaving. Instead of the Home Minister, the Law Minister would reply to this debate.

SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE (Maharashtra): He can reply next time.

THE VICE-CHAIRMAN (SMT. KAMLA SINHA): The Law Minister is here, he would reply.

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam Vice-Chairman, I do not have any quarrel with the Law Minister. I would welcome him to reply. But my problem is the hon. Home Minister as a General Secretary of the CPI.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI INDRAJIT GUPTA): I had resigned. I am not the General Secretary of the CPI.

SHRI V. NARAYANASAMY: Kindly hear me. Why are you in a hurry? When you were the General Secretary of the CPI, you visited Pondicherry to unveil the statue of a great leader, Shri V. Subbaiah. The State political leaders met you. As General Secretary of the CPI, you gave an assurance to them that your party's stand also was for Statehood. Now, I want to hear from you as home Minister whether you hold the same view or you have a double stand. Madam, I want the hon. Home Minister to reply to my question. I think this is the design of the Home Minister to avoid this House on this question.

श्री महेश्वर सिंह (हिमाचल प्रदेश): मैडम, अगर मंत्री महोदय स्टेटहुड का आश्वासन दे देते हैं तो हम बोलना छोड़ देंगे, ये भी आश्वासन देकर जा सकते हैं।

SHRI R. MARGABANDU: I would take very little time for my speech. Madam, as I said earlier, the Lt. Governor is a nominated person. He has got veto power over a democratic set-up. It is a very sorry state of affairs. Madam, the Lt. Governor is more powerful then the Council of Ministers and the Chief Minister. They are at his mercy. So, this sorry state of affairs should not be allowed to continue.

Madam, after 1950, when the Union Territories Act was enated, several Union Territories in our country were given Statehood. I can mention some of them. They are Manipur, Tripura, Arunachal Pradesh, Mizoram, Goa, Vindhya Pradesh, Himachal Pradesh, Meghalaya and several other Union Territories have got Statehood. The same can be extended to Pondicherry also. The population of Pondicherry is more than 10 lakhs. I think that would be sufficient for giving Statehood. As a matter of fact, they can themselves run the State administration. The taxes of the State are being taken away by the Central Government like excise duties and sales tax. A lot of money is being taken away by the Central Government. But their contribution to the State's exchequer is negligible. So, whatever funds they can generate, that itself would be sufficient for them to run the State. When several other States have been granted Statehood, what is the difficulty in granting Statehood to Pondicherry? Even for appointments and promotions, they have to look up to the Central Government. The Central Government is already burdened with so many problems and by giving Statehood to Pondicherry, the Central Government will be relieved of this burden. In this way they can have better administration. As a matter of fact, a small State can be administered in a better way and they will prove Pondicherry to be the best administered State and there will be sufficient funds to meet the requirements. There cannot be any otherdifficulty or barrier for the Central Government to confer Statehood to Pondicherry. The hon. Home Minister is known for his independent thinking. In this way, the people of Pondicherry can also have freedom of speech, freedom of thinking and freedom of administration. With this, I support the Bill. The hon. Members from the Treasury Benches have also supported this Bill. So, it may not be difficult for the United Front Government to accept this demand by bringing forward a Government Bill itself for conferring Statehopod to the State of Pondicherry, especially when it has been conferred on Uttarakhand. When the people of Uttara Khand agitated, they got it. I would like to know whether the Government expects any agitation from the people of Pondicherry. If that is so, Mr. Narayanasamy can make arrangement for the agitation and get Statehood as the people of Uttarakhand got. But the people of Pondicherry need not go to that extent to get freedom by way of agitation against the Central Government. With these observations. I support the Bill moved by Mr. V. Narayanasamy with the hope that the Central Government will come forward with a Bill to confer Statehood to Pondicherry. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Pondicherry is already free. It is part of India. They don't need freedom. They need Statehood.

SHRI V. NARAYANASAMY: We are treated as second class citizens.

SHRI R. MARGABANDHU: That is why they want freedom. That freedom can be given to them by the Central Government. With this, I conclude my speech. Thank you.

श्री महेश्वर सिंह: उपसभाध्यक्ष महोदया, पांडिचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का जो गैर-सरकारी विधेयक माननीय सदस्य श्री नारायणसामी ने इस सदन में रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदया, यह समर्थन मात्र एक औपचारिकता नहीं है क्योंकि मैं एक ऐसे प्रांत से आता हूं जो बड़े लंबे अरसे तक यूनियन-टैरिटरी कहलाता रहा और यूनियन-टैरिटरी के प्रतिनिधियों को, यूनियन-टैरिटरी की जनता को क्या-क्या सहन करना पड़ता है, मैं इस बात को भली-भांति जानता हूं और इसका भुक्तभोगी रहा हूं।

महोदया, जैसा कि आपको भी विदित होगा कि पांडिचेरी एक ऐसा प्रांत है जिसकी अपनी संस्कृति है और जिसका देश के स्वतंत्रता-संग्राम में एक बड़ा योगदान रहा है। यह लगातार 300 वर्षों तक फ्रांस की सरकार के अधीन रहा। सन 1954 में जब वहां रेफरेंडम हुआ था तो वहां की जनता ने अपना मत इस पक्ष में दिया कि वह भारतवर्ष में रहना चाहती है और 1954 में ही वहां विधानमंडल की स्थापना हुई। उस समय से वहां पर चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा चलती आ रही है। वहां 30 चुने हुए प्रतिनिधि हैं और मुख्यमंत्री हैं, 6-6 मंत्री हैं। विधानसभा वहां पर प्रस्ताव पारित करती है लेकिन इस प्रस्ताव का कार्यान्वयन इस बात पर निर्भर करता है कि राज्यपाल उसको अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं अथवा नहीं। अर्थात वहां पर चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा होने के बावजूद वे स्वतंत्र नहीं हैं। राज्यपाल महोदय को वहां वीटो पावर दी गई है। उनको पूरा अधिकार है कि जनभावनाओं से प्रेरित होकर जो प्रस्ताव वहां के जनप्रतिनिधि पारित करते हैं उसको वह एक कलम के झटके से रद्द करने का पूरा-पूरा अधिकार रखते हैं।

महोदया, जहां तक यूनियन टेरिटोरी का संबंध है, मैं समझता हूं कि आज तो इस कंसेप्ट को ही समाप्त कर देना चाहिए। यह कंसेप्ट तो ब्रिटिश सरकार का था और यह कंसेप्ट उन्होंने इसलिए रखा था कि कोई भी राज्य बिल्कुल स्वतंत्र होकर फैसला न कर सके, रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में रहे इसलिए उन्होंने यह व्यवस्था बनाई। आज तो स्वतंत्र भारत है और पांडिचेरी इस देश का अभिन्न अंग है, स्वतंत्र प्रांत है इसलिए उसको बाकी प्रांतों की तरह स्वतंत्र अधिकार होने चाहिए, वहां की असेंबली में वहां के जनप्रतिनिधि जनहित में तो प्रस्ताव पारित करते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का अधिकार भी उनको ही होना चाहिए। यह तो पैरेलल काम वहां चल रहा है कि वहां प्रस्ताव पारित हो, फिर राज्यपाल महोदय पर निर्भर करता है कि वह उसको स्वीकृति प्रदान करते हैं या नहीं करते हैं और उनके रहमोकरम पर असेंबली चले, यह ठीक नहीं है। इसलिए वहां पर पूर्ण राज्य देने की मैं वकालत करता हूं और पुरजोर समर्थन करता हूं।

महोदया, जब भी केन्द्र में इस प्रकार की बात आती है तो वह कहते हैं कि अभी समय परिपक्व नहीं है, वहां की जनसंख्या कम है, वह आत्मनिर्भर नहीं है। अब यह कहना कि वह आत्मनिर्भर नहीं है, यह तो ठीक उसी प्रकार से है कि जैसे कभी-कभी परिवार में भी पिता-माता कहा करते हैं कि किसी बेटे को अगर वह चाहते है कि वह अपने पांव पर खड़ा न हो तो यही बहाना करते हैं कि इसको हम जुदा नहीं करेंगे, क्योंकि यह अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकता। अरे, जो उसकी आमदनी है वह सारी तुम बटोर लो, उसको अपने पांव पर खड़ा होने का अवसर ही न दो तो फिर वह समय कब आएगा जब वह आत्मनिर्भर होगा। क्योंकि हिमाचल के मामले में भी हमको यही कहा जाता था कि हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता क्योंकि उसके अपने आय के साधन नहीं हैं। वह आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा इसलिए उनको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देंगे। लेकिन हिमाचल ने इन 20-25 वर्षों में यह कर दिखाया है। आज कितनी प्रगति उस क्षेत्र में हुई है और वह आत्म-निर्भरता की ओर अब बड़ी तीव्र गति से बढ़ रहा है। तो अगर पांडिचेरी को भी यह समय देंगे तभी पांडिचेरी अपने पांव पर खड़ा हो पाएगा। लेकिन जब तक आपका सोच यह रहेगा कि यह अपने पांव पर खड़े हो ही नहीं सकते...!

4.00 P.M.

ये आत्मनिर्भर हो ही नहीं सकते और जो भी वहां पर एक्साइज या दूसरी आय हो तो उसको तो पिता की तरह आप बटोर लो और फिर वहां कोई प्राकृतिक आपदा घट जाये तो उनको एक फूटी कौड़ी न दो, यह कहां का

न्याय है? इसलिए वायालार रवि जी ने जो कहा उसका मैं समर्थन करता हूं। केवल दो ही यूनियन टेरीटरी हैं और अगर आप इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दे देते हैं, पूर्ण अधिकार दे देते हैं तो कौन-सा आर्थिक बोझ बढ़ जायेगा? मैं एक बात के लिए वर्तमान सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उत्तराखण्ड को आपने यूनियर टेरीटरी बनाने की बात नहीं की है, उसे सीधे-सीधे राज्य बनाने की बात कही है। मुझे विश्वास है कि चुनाव के पहले ऐसा विधेयक लाकर आप उत्तराखण्ड को राज्य का दर्जा देंगे। आपको भी यह लगता है कि जो यूनियन टेरीटरी का कंसेप्ट है इसको समाप्त कर देना चाहिए। फिर पांडिचेरी के साथ सौतेला व्यवहार क्यों है और उसे पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों न दिया जाये? श्री वायालार रवि ने जो दूसरी बात कही है उससे मैं सहमत नहीं हूं। उन्होंने दिल्ली के बारे में टिप्पणी की है। मैं यहां स्पष्ट करना चाहूंगा कि दिल्ली का भी अपना एक अस्तित्व है, अपनी एक विशेषता है। इसलिए उनको इस बात में आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि दिल्ली को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाये। पूर्ण राज्य का अर्थ यह नहीं है कि बाहर से या दूसरे प्रान्तों से जो हम लोग आते हैं तो उनका यहां पर आदर-सत्कार नहीं होगा। उनका यहां पर पूरा आदर-सत्कार होगा। इसलिए यह बात कहना कि दिल्ली का विषय अलग है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। यहां पर सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट के बारे में जिक्र करते हुए कहा गया है कि छोटे-छोटे प्रान्त बनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन उसकी वायबिलटी कैसी होनी चाहिए इन सब बातों पर भी विचार करने की जरूरत है। यह तो यूनियन टेरीटरी का कंसेप्ट है इसको समाप्त कर देना चाहिए। जहां पर सरकार को लगता है कि पूर्ण राज्य बनाने की मांग उचित है तो वहां पर पूर्ण अधिकार के साथ अलग से स्टेट दिया जाना चाहिए। आप कहीं भी यूनियन टेरीटरी बनाते हैं तो वहां के रहने वाले सेकेण्ड क्लास के सिटीजन कहलाते हैं तथा उनके जनप्रतिनिधियों को भी हीन भावना महसूस होती है क्योंकि वे स्वतंत्र रूप से कोई फैसला नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं इस मांग पर जोर देना चाहूंगा कि पांडिचेरी के साथ न्याय किया जाये। आपने उत्तराखण्ड राज्य बनाने के लिए जो निर्णय लिया है उसका मैं स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है, जैसा मार्ग बन्धु जी ने कहा कि आप ऐसा अवसर नहीं देंगे कि पांडिचेरी के लोगों को आन्दोलित होना पड़े। अगर ऐसा समय भी आया तो मैं माननीय नारायणसामी जी को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि भले ही वह पांडिचेरी से इस सदन में एकमात्र सदस्य हैं लेकिन वे इस मामले में अपने आपको अकेला न समझें। हम सब उनका समर्थन करेंगे। मैं स्वयं ऐसे राज्य से आता हूं जो कि बहुत लम्बे समय तक एक यूनियन टेरीटरी के रूप में माना गया। हिमाचल को भी यह कहा जाता था कि यह आत्मनिर्भर नहीं है इसलिए इसको अलग नहीं किया जा सकता है, इसको स्टेट का दर्जा नहीं दिया जा सकता है लेकिन हिमाचल के पहाड़ों में बसी जनता ने यह साबित कर के दिखा दिया कि जब हमको स्टेट हुड मिला तो उसके बाद हिमाचल ने कितनी अच्छी तरक्की की है। शायद उसी उन्नति से प्रेरित होकर उत्तराखण्ड की मांग भी आगे आई है। आप देखेंगे कि एक तरफ हिमाचल के गांव बिजली से जगमगाते हैं, वहीं उत्तराखण्ड में अंधेरा पड़ा है। मुझे विश्वास है कि जब आप उत्तराखण्ड के लिए स्टेट हुड बिल पारित कर देंगे तो उत्तराखण्ड भी उन्नति करेगा। आप उसी लाइन पर पांडिचेरी को भी स्टेट हुड का दर्जा प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका तथा इस माननीय सदन का धन्यवाद करता हूं। अन्त में, मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि गृह मंत्री जी आपको यह अधिकार दे गये हैं कि आप इस चर्चा का जवाब देंगे तो उनकी टिप्पणी का भी ध्यान रखेंगे। श्री इन्द्रजीत गुप्त जी जब एक दल के महामंत्री थे तो उस समय भी उन्होंने अपने दल का दृष्टिकोण रखते हुए इस मांग का पुरजोर समर्थन किया था। इसलिए आप उत्तराखण्ड की तरह पांडिचेरी को भी पूर्ण राज्य का दर्जा देकर अनुगृहीत करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर माननीय उपसभाध्यक्षा जी आप को धन्यवाद देता हूं।

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे: महोदया, नारायणसामी जी जो पांडिचेरी को पूर्ण राज्य का अस्तित्व देने के लिए जो बिल लाए हैं, उसका मैं समर्थन करता हूं। कितने ही वर्षों से बार बार पांडिचेरी की जनता ने चाहे लोक सभा में हो या राज्य सभा में हो, यह सवाल उठाया है, उनके मैंबर आफ पार्लियामेंट्स ने उठाया है और उनके विधायकों ने उठाया है। लेकिन जो ध्यानाकर्षकण इस बार हुआ है उतना ध्यानार्षण इसके पहले नहीं हुआ था। इसके लिए मैं नारायणसामी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

महोदया, मुझे बड़ा अच्छा लगा अभी यह सुनकर कि हिमाचल प्रदेश भी केंद्र शासित था और आज इस बिल का जो उत्तर देने वाले मंत्री हैं वे भी एक केंद्र शासित प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, वे गोवा के हैं। गोवा कई सालों तक केंद्र शासित प्रदेश था और वहां लेफ्टिनेंट

गवर्नर था। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहने से उस प्रांत के क्या दुख रहते हैं, इसकी जानकारी हमारे मंत्री महोदय को है। वे लीडर आफ दि अपोजीशन के नाम से वहां पर काम करते थे। वे वहां विधायक के नाते भी काम करते थे और सोशल जस्टिस देने वाले नेता के रूप में भी काम करते थे। पूरा विश्वास है चाहे आज गृह मंत्री यहां नहीं हैं, लेकिन ये मंत्री महोदय और सरकार की जिम्मेदारी कलेक्टिव होती है, जिन्होंने यह दुख खुद सहन किए हैं, वे दुख वे पांडिचेरी की जनता को देने का प्रयास नहीं करेंगे और आज वे यह आश्वस्त करेंगे कि हम आपको भारत सरकार की ओर से राज्य देना चाहते हैं। इस तरह का आज वे आश्वासन देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बोम्मई जी भी कह रहे हैं कि हम सोचेंगे शायद ऐसा कुछ बोल रहे हैं। मुझे पूरा पता नहीं है।

श्री एस०आर० बोम्मईः गोवा इंडिपेंडेंट स्टेट ...(व्यवधान)...

श्री सुशील कुमार संभाजी राव शिन्देः हां, रहेगा ना!

श्री एस०आर० बोम्मईः महाराष्ट्र में नहीं रहेगा, कर्नाटक में आएगा।

श्री सुशील कुमार संभाजी राव शिन्देः बिल्कुल नहीं जाएगा। फाजिल अली कमीशन लगाया। स्टेट के विकेन्द्रीकरण की बातें हो रही थी। महाराष्ट्र और कर्नाटक में अभी तक बार्डर डिस्प्यूट की चर्चा चल रही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि चाहे अरूणाचल हो, मणीपुर हो, त्रिपुरा हो, चाहे मिजोरम हो ये सब राज्य जो हैं उनके बार्डर कौन से हैं? उनके बार्डर परदेशी कन्ट्रीज हैं। भारत के अंदर उनका बार्डर नहीं है। ऐसी स्थिति में स्टेट की सिक्योरिटी का सवाल आता है। जैसा कि अभी दत्ता जी ने यहां कहा कि पुलिस पर ज्यादा खर्चा आता है, यह बात सही है। जब भारत सरकार यह बात सोचती है कि अंतरराष्ट्रीय बार्डर पर हम एक स्वतंत्र राज्य चाहते हैं तो क्या पांडिचेरी जैसे राज्य में जिसका बार्डर - श्रीलंका वहां से दूर है बीच में समुद्र आ गया है तो अगर बार्डर देखा जाए तो केरल का बार्डर है, अगर वहां बार्डर देखा जाए तो आंध्र का बार्डर है, अगर देखा जाए तमिलनाडु का बार्डर है तो इसमें क्या दिक्कत है? जब यहां के लोग प्लानिंग कमीशन में आते हैं, राज्य का पूरे साल का खर्चा चलाने के लिए तो वहां का जो बजट है वह केंद्र शासित अधिकारी ही बनाते हैं। इस मामले में वे स्वतंत्र हो ऐसा हमारा कहा है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। गोवा एक स्वतंत्र राज्य हो गया। गोवा राज्य ने, मैं इसे जुगाड़ नहीं कहूंगा, लेकिन उसने किस तरह से नये नये टैक्स लगाए हैं ...(व्यवधान)... अच्छा किया है या बुरा किया है लेकिन वह राज्य ने खुद किया है। उसने अपने रिसोर्स मोबलाइजेशन के लिए, सोशली क्या होता है मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा लेकिन रिसोर्सेज मोबलाइजेशन इज वेरी इम्पार्टेन्ट फार दि स्टेट। तो यहां क्या होता है, यहां आपके सेन्ट्रल गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं...

श्री नीलोत्पल बसु (पश्चिमी बंगाल): मैडम जिस बारे में आप बोल रहे हैं, उस बारे में मेरा एक क्लियरीफिकेशन है।

किस तरीके से आप रिसोर्स मोबिलाइज़ेशन करेंगे, यह कोई मानने वाली बात नहीं है। अब थाईलैंड में या साऊथ ईस्ट एशिया में सेक्स ट्युरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है, उसके बारे में कोई एतराज़ नहीं रहना चाहिये, क्या आपका ऐसा मानना है?

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्देः नहीं नहीं। आपको सोचना होगा कि किस मर्यादा तक जाना चाहिये। इसीलिए मैंने बोला कि मोरेलिटी क्या है। आप सेक्स टेक्सेशन के बारे में कहते हैं सिंगापुर में, बैंकाक में..(व्यवधान)

श्री नीलोत्पल बसुः रिसोर्स मोबिलाइज़ेशन कैसे होगा, अगर यह कंडीशन नहीं होगी तो what is politically, morally and ethically acceptable for the country and the people has to be taken into consideration.

SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: I will just put a question to my friends, through you, Madam: What is the tax on lottery? Lottery is immoral. But every State has been utilising the tax on lottery and this was one of the main sources in the beginning. There was some agitation when the question of levying taxes on lottery came up. इसलिए हमें यह तय करना होगा। कई ऐसी स्टेट्स हैं वहां सुविधाएं क्या हैं, कैसे रिसोर्स मोबिलाइज़ेशन कर सकते हैं। जब तक आप स्टेट्स को अधिकार नहीं देंगे, वह स्वतंत्र बुद्धि कैसे लगा सकेंगे? (व्यवधान)

श्री नीलोत्पल बसुः मेरा एक ही प्वाइंट था क्योंकि आपने गोआ को रेफर किया है। गोआ तो शायद अकेला ऐसा राज्य है जहां पर कुछ हद तक से साऊथ

ईस्ट एशिया में प्रोब्लम आ रहा है, ट्युरिज्म संबंधी वहां भी सवाल आ रहा है। **(व्यवधान)**

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे: वहां कोई प्रोब्लम नहीं आ रहा है। आपको पूरा पता नहीं है। मैं वहां बहुत बार जाता हूं। मेरे नज़दीक का स्टेट है। उनको भी पता है कोई प्रोब्लम नहीं आ रहा है। **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): अब आप पांडिचेरी पर बोलिये। गोआ को छोड़ दें। गोआ की समस्या जब आएगी..**(व्यवधान)**

SHRI S.R. BOMMAI: My friend was the Finance Minister in the State of Maharashtra, the richest revenue yielding State.

SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: He was also my colleague at that time, Madam. I remain as I am and he has gone far ahead. महोदया, सब से बड़ी बात यह है कि जब स्टेटहुड मिलता है तो खुद को रिसोर्स मोबिलाइज़ेशन का अधिकार मिलता है। आखिर भारत ने स्वतंत्रता हासिल की। गुलामी में रह कर, स्लेवरी में रह कर भी हिन्दुस्तान चल सकता था लेकिन हमने अंग्रेजों भारत छोड़ो की मांग क्यों की? हम कानफेडरेशन में रह कर या प्रजा सत्ता में रह कर हमारे स्टेट के बारे में नहीं सोचते हैं तो मैं समझता हूं कि यह भी एक दूसरा हमारे लिए जुल्मी सत्ता का अधिष्ठान हो सकता है। मैं कह रहा था कि जब डिविज़ीबल पूल की बात आएगी, तो अपने को गाडगिल फार्मूले से कितना पैसा मिलता है? 10 परसेंट देते हैं। कितने पर देते हैं? स्टेट की अर्निंग पर देते हैं। जो केन्द्र शासित प्रदेश है, उसका रेवेन्यू अर्निंग कितना होगा? उस पर गाडगिल फार्मूले के हिसाब से कितना पैसा मिलेगा? वह हिल्ली स्टेट तो नहीं है जैसे हिमाचल प्रदेश की बात हो रही थी। हिल्ली स्टेट्स का फार्मूला अलग है। उस फार्मूले का भी पैसा नहीं मिलता है। हमने देखा है जो एटोमिक रिसर्च सेंटर के वहां से रोड जाती है पांडिचेरी के लिए वह रोड भी ठीक नहीं है जबकि नेशनल हाईवे है। मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं कि स्टेट में जब भी कोई इस तरफ़ की बातें चलती हैं तो उसका अच्छा सुझाव ला कर उसको सुविधा देने का सरकार का काम होता है। चाहे उत्तराखंड हो, चाहे झारखंड हो और चाहे मध्य प्रदेश का कहीं विभाजन हो, कई पक्षों ने, कई पोलिटिकल पार्टीज़ ने छोटे छोटे राज्यों की बात की। श्रीलंका की जनसंख्या कितनी है, बुलगारिया की जनसंख्या 10 लाख है, रोमानिया को ले लीजिये, मालदीव की जनसंख्या पांच लाख भी नहीं है। वह राष्ट्र बन सकते हैं, नेशन बन सकते हैं, कंट्री बन सकते हैं और हमारे तमिलनाडु के नज़दीक का प्रान्त जहां से हमारे नारायणसामी जी जैसे एक्टिव मैम्बर आफ पार्लियामेंट आते हैं, चाहे मुंबई हो, बंगलौर हो चाहे दिल्ली हो वहां के सदस्य भी इतना एजीटेट नहीं करते हैं अपने प्रश्नों के लिए, देश के प्रश्नों के लिए उनसे ज्यादा नारायणसामी जी असली स्वामी बन कर यहां काम करते हैं। ऐसी एक अच्छी मांग उन्होंने की है। वह जनता की मांग है। वह केवल उनकी मांग नहीं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि नारायणसामी जी इतने जोर से किसी अपने प्रश्न पर मैं यह देख रहा था कि सब सदस्यों से जाकर पूछ रहे थे—क्या आपको लगता है। वह प्रेशर नहीं दे रहे थे। क्या लगता है पांडिचेरी का राज्य बनाने में, यह पूछते थे। तो हमको बड़ी खुशी होती है कि एक ऐसा हमारा साथी है जो असलियत से पूछता है—क्या लगता है आपको और जब "क्या लगता होता है" पूछता है तो खुद खड़े होकर यहां के सदस्य इस पर बात कर रहे हैं और उनको समर्थन दे रहे हैं। मालूम होता है कि यह पूरे सदन की राय है कि पांडिचेरी को स्टेटहुड का अधिकार देना सरकार को तय करना होगा। मैं पोलिटिकल बात नहीं करूंगा। लोगों को दिक्कतें हैं। मैं अभी पूछ रहा था कैसे जाते हो। वहां एयरपोर्ट है क्या? छोटा सा एयरपोर्ट है प्लेन भी नहीं जाता है और वहां पहुंचने के लिए दो दिन लगते हैं। जब अपना खुद का स्टेटहुड रहेगा तो अच्छी तरह से वहां पर एयरपोर्ट हो सकता है। कोई दूसरी सुविधा हो सकती है और रिसोर्स मोबिलाइजेशन सबसे अच्छा होता है। जो अधिकार उस सरकार को हमने दिए हैं वे अधिकार कहां तक दिए हैं। दादरा नागर हवेली की बात हो या पांडिचेरी की बात हो—दादरा नागर हवेली तो बहुत छोटा है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट की टेरिटरी में आने वाले छोटे स्थान हैं उनमें आता है लेकिन पांडिचेरी तो ऐसा स्थान है जहां अभी उसको अधिकार दे दें। तो मुझे पूरा विश्वास है कि वह भारतवर्ष का एक समर्थशील प्रांत होगा और अपने खुद के पैरों पर रिसोर्स मोबिलाइजेशन करेगा, शिक्षा का प्रबंध करेगा और अपने खुद के पैरों पर अपने देश के साथ जाने के लिए एक समर्थशील राज्य होगा और लोगों को साथ लेकर चलेगा। मुझे पता है कि तामिलनाडु में या उनके भी किसी हिस्से में टेरोरिज्म के आने जाने वाले वहां भी हो सकते हैं..**(व्यवधान)**..

श्री वी. नारायणसामी: लिट्टे

श्री सुशील कुमार संभाकजीराव शिन्दे: लेकिन यहां दिल्ली में बैठकर कितना कंट्रोल कर सकेंगे। दिल्ली से फोर्स मंगाएंगे चाहे सी.आर.पी.एफ. हो या कोई हो। एस.आर.पी.एफ. तो स्टेट की होती है। लेकिन मिलिट्री भी मंगानी होगी तो कहीं-कहीं इसके लिए ऐसा भी होता है कि स्टेट के लिए समर्थन नहीं मिलता है। इसलिए मैं समझता हूं कि चाहे ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन हो चाहे रिसोर्स मोबिलाइजेशन की हो चाहे आतंकवाद से झगड़ना हो तो इसके लिए स्वतंत्र स्टेट का दर्जा लेने में एक विशेषता होती है ताकि अपने राष्ट्र की--बात हम करें। कोई केंद्र शासित सत्ता के लोग दूसरे राष्ट्र की बात न करें। यही स्वतंत्रता है। महोदया, आपने स्वतंत्रता की बात कही, वही स्वतंत्रता होती है। हम स्वतंत्रता में भी रहकर फिर केंद्र शासित बनें, किसी के अंकित बनें यह बात ठीक नहीं है। आज उनका पूर्ण तरफ से बाउंड्री पर कोई झगड़ा नहीं है जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक में आज भी बाउंड्री पर डिसप्यूट चल रहा है, न बोम्मई जी जगह छोड़ने के लिए तैयार हैं न हम भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। यह झगड़ा चलता रहा है फाजिल अली कमीशन से ..(व्यवधान) आजकल उनकी मिनिस्ट्री में बहुत जोर से चलता है। मैं तो उनको थोड़ी विनती करूंगा कि आप हमारे प्रधान मंत्री को बोलिए कि जैसे उत्तराखंड की बात करते हैं, पांडिचेरी को भी जो एक बैकवार्ड एरिया है, समर्थन दे दें।

श्री वी.नारायणसामी: जनता दल उनका समर्थन कर रहा है। उनके पार्टी मैनीफैस्टो में है। जनता दल के मैनीफैस्टो में है।

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे: वह जनता दल के मैनीफैस्टो में है, एक अच्छी बात आपने कही। यह सरकार समाजवादी विचारों की सरकार है और इस विश्वास से मैं इस बिल का समर्थन करते हुए सरकार से इतना ही कहूंगा कि वह राज्य पश्चिम की ओर का एक अकेला रह गया है गोआ के बाद तो उसके लिए अच्छी तरह से आप शुभेच्छा से भेंट दे दें कि हम नयी सरकार में आए हैं तो एक छोटा राज्य बनाकर जा रहे हैं। यही आपका संदेश इस देश के लिए अच्छा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं फिर दोबारा नारायणसामी को धन्यवाद देता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

SHRI NILOTPAL BASU: Madam Vice-Chairman, at the very outset, I would like to make it very clear that we are not opposed to the grant of Statehood to Pondicherry or this Bill which Narayanasamyji has introduced. But, at the same time, I think I have to respond to certain questions that have been raised in the course of the debate, mainly, the sweeping analogies that are being made vis-a-vis the smaller States, vis-a-vis Uttarakhand and vis-a-vis so many other parts of this country. I think it is not doing justice with the seriousness and gravity of the question of re-organisation of States, the question of decentralised administration and the question of proper resource mobilisation for overall economic development of the country. All these things are being treated in a very sweeping and cavalier manner.

Madam, there is almost a consensus in the House that in the 50th anniversary year of our independence, one major question that is bothering all of us is the question of uneven development. Though the planning process in the country started much before independence and it has suffered many twists and turns since then, still for a country of 960 million, we cannot claim and we cannot reassure our conscience in the 50th year of our independence, that it has really yielded what we intended in the course of our freedom struggle. All the areas, all the regions have not developed uniformly. There are areas where there is a major concentration of backwardness, unemployment and hunger. It is a general phenomenon. But there is also a regional pattern about the incidence of this socio-economic phenomenon. In certain areas, it is concentrated, it is focussed.

The point is, as a democratic polity, how we should address these basic questions of socio-economic equality so that no citizen in any part of the country, irrespective of his caste, creed or religion, feels that he is being discriminated against and that he is not an equal partner in the journey of independent development that India has embarked upon. The kind of feeling that we are all equal partners, has to be instilled.

Now, a multinational country like India, a multilingual country like India, with its process of formation of States, process of formation of Autonomous Councils, process of develution and decentralisation of power, cannot be compared with some of the references that were being made here, for example, of Bulgaria and some other smaller European states. It cannot be done. It cannot be compared to China. Though we are similar in size, yet on questions of nationality and other things we are quite different. Very complex social, economic, ethnic and cultural categories are involved in this. Therefore, I think, when we discuss Pondicherry, we should discuss Pondicherry only, taking into consideration the concrete specifics on the basis of which the demand is arising. People are generally congratulating the Government for the Uttarakhand decision. There are different forces which are supporting the demand of formation of the Uttarakhand State. There are political forces which from the outset had opposed the very idea of reorganisation of States on linguistic basis. There are forces which from the beginning had propagated the idea of formation of smaller States. Therefore, in today's political context, in today's socio-economic context and in cultural context, in a country like India, should we advocate formation of smaller States? Generally, I am responding to some of the suggestions which have come up in the course of this debate. I think it will be disastrous for India. It cannot be done. For different regions, for different areas, different solutions have to be found out. For example, in the State of West Bengal, there is an area which is dominated by an ethnic minority which is a majority in a particular region—three subdivisions of the Darjeeling hills. At the point of time, there was a slogan of becoming separate from the country. Then, alternative suggestions were made. The question of statehood came up. Then we proposed that the question of addressing the specific cultural and ethnic diversities of this region can be addressed in terms of a properly equipped autonomous district council. While in many areas of the country the separatist urge of such movements could not be properly tackled politically, in Darjeeling it could be tackled. Now, there is a proper political integration and they feel part of the mainstream, and at the same time, there is a properly organised Autonomous Council which is the Darjeeling Gorkha Hill Council. Similarly, in Tripura, there has been the Tribal Autonomous Districts Council. So, you have within the provisions of the Constitution itself appropriate instruments for addressing the concerns and the aspirations of the people. This general formulation that ony statehood and nothing short of statehood is necessary, is a very wrong idea. That is what we generally observe.

The second point which I would like to make is this. Apart from the social, linguistic and national questions, the question of economic sustainability is very important. In fact, Shindeji was actually raising very relevant questions regarding divisible pool and the question of resource mobilisation. Another aspect of addressing this problem equitably is the question of actually defining Centre-State economic relations and what will be the areas available to the States for mobilising the resources. In the process that we have adopted since Independence, in the kind of Centre-State relations, the framework of Centre-State relations, there is a probolem. In every State, irrespective of parties, I tell you, there is a feeling that the State Governments are not having adequate powers. So, I think many avenues are open to us to address many of these questions. What I feel is that in some cases the States cannot become economically sustainable always. That question should also have to be properly examined before delaing with all these questions. It cannot be done in such a perfunctory manner. Finally, there is another context. I would like to ask

one thing from those who are supporting the demand for Uttarakhand. We know that there is already a demand for Gorkhaland. Similarly, there is also a demand for Jharkhand. Shri Bommai is here and I would like to ask: Will the Janata Dal support Jharkhand also? I would also ask Shri Bommai, if today Belgaum people say that they are not part of Karnataka and that they would go to Maharashtra, would that demand be supported? There are other areas. There is Chattisgarh in Madhya Pradesh, Vidarbha in Maharashtra. you see, it has a chain reaction. Therefore, will you take this kind of a decision? I think, a discussion is necessary. It cannot be decided in a perfunctory manner. The issue has many sides. All these factors will have to be taken into consideration in a holistic manner. Only then that kind of a decision can be taken.

Finally, I would like to assure the House and Particularly the mover of this Bill, Shri V. Narayanasamy we as a party are not opposed to giving statehood to Pondicherry *per se*. I think, it is very wrong and dangerous to draw simplistic analysis. Thank you very much.

डा० रणबीर सिंह (उत्तर प्रदेश): मैडम, मैं श्री वी० नारायणसामी जी के इस बिल की सपोर्ट में खड़ा हुआ हूं, जिसके ज़रिए पांडिचेरी के लिए स्टेटहुड की डिमांड उन्होंने रखी है।

मैडम, पांडिचेरी 300 साल तक फ्रांस के कब्जे में रहा और 1954 में जब रिफ्रैंडम हुआ तो वहां के लोगों ने हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने का निर्णय लिया और मैं समझता हूं कि वे लोग कुछ आशाओं के साथ और हिन्दुस्तान की हुकूमत व हिन्दुस्तान की फिलासफी को सोचते हुए हिन्दुस्तान के साथ जुड़े होंगे. वहां की पापुलेशन 10 लाख है. उस स्टेट के अंदर असेम्बली है, उस असेम्बली में स्पीकर है, चीफ मिनिस्टर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लेकिन यह सब एक तरीके से ड्रामा है, एक असेम्बली का। स्पीकर अपनी रूलिंग वहां देते हैं, रेज़ोल्यूशन्स पास होते हैं लेकिन उन रेज़ोल्यूशन्स की कोई कीमत नहीं है जब तक कि वहां का एल०जी० उनको ओ०के० न कर दे। लेफ्टिनेंट गवर्नर को वीटो की पावर होना इस जमाने में और डेमोक्रेटिक जमाने में—जब हम हिन्दुस्तान की डेमोक्रेसी की बात करते हैं और कहते हैं कि हम हर चीज डेमोक्रेटिक तरीके से करना चाहते हैं तो वहां वीटो की कोई गुंजाश्रश नहीं होनी चाहिए—उस स्टेट के लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है. वहां के लिए यह बड़ी बदकिस्मती की बात है कि वहां अभी भी वीटो का इस्तेमाल होता है, गांधी जी तो कहा करते थे कि ग्राम स्वराज होना चाहिए, हर गांव एक छोटी यूनिट होनी चाहिए जो अपने सारे काम करे, जो सब तरफ की व्यवस्था अपने गांव की करे और एक तरीके से गांव एक सेल्फ गवर्निंग यूनिट होनी चाहिए। गांधी जी का इस तरह का सपना था। लेकिन हम लोग 10 लाख लोगों की स्टेट को एक ऐसे ड्रामे की तरह से चला रहे हैं कि वहां सारी चीजें होने के बावजूद भी वीटो पावर का इस्तेमाल हो रहा है। एक तरीके से दो हुकूमतें हैं वहां। वहां कुछ डिपार्टमेंट स्टेट के अंडर आते हैं कुछ सैंटर के अंडर आते हैं। वहां चीफ सैक्रेटरी हैं और एक तरीके से वहां जो हुकूमत चल रही है, वह चीफ सैक्रेटरी के ज़रिए चल रही है। हिन्दुस्तान की हुकूमत, दिल्ली से या होम मिनिस्ट्री से, इतनी दूर से उसको कंट्रोल करती है कि उसमें ऐफीशिएंसी बिल्कुल नहीं रह जाती। कुछ स्टेट के मुलाज़िम हैं कुछ सैंटर के मुलाज़िम हैं, [illegible] पे-पेरिटी का सवाल है, उनके राइट्स का सवाल है वह क्या देखें और क्या न देखें। जैसे दिल्ली में एक तरीके से बिजली स्टेट के पास नहीं है। अब तक डी०टी०सी० भी स्टेट के पास नहीं थी, डी०डी०ए० स्टेट के अंदर में नहीं है तो दो पेरेलल् हुकूमत यहां स्टेट के अंदर चल रही थीं। इसी तरीके से जो भी सैंट्रली एडमिनिस्टर्ड यूनियन टेरिटरीज़ हैं वहां दो पेरेल्ल हुकूमतें चलती हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स एक के पास हैं, कुछ दूसरे के पास हैं और कोआर्डिनेशन की बड़ी भारी कमी है। मैं समझता हूं कि ऐसी हालत में ऐफिशियेंसी नहीं रहती और जब वहां इनऐफिशियेंट हुकूमत रहेगी तो स्टेट का डेवलपमेंट नहीं हो सकेगा। वहां के लोगों को जरूरत पड़ेगी तो उनको दौड़कर दिल्ली आना पड़ेगा हर बात के लिए यह बड़ी मुश्किल बात है। इस वजह से दिल्ली भी सफर कर रही है। दिल्ली के लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें भी अलग राज्य का दर्जा मिले। वे लोग मांग कर रहे हैं कि उनकी अपनी असेंबली होनी चाहिए और उन्हें कानून बनाने का अधिकार होना चाहिए। जितने भी डिपार्टमेंट्स की वहां जरूरत है, वे उनके अधिकार क्षेत्र में होने चाहिए। अभी वे भी रेज़ोल्यूशंस पास करते हैं अपनी असेंबली में, वे वीटो होकर खत्म हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि यह एक तरह से समय की बरबादी है।

महोदया, मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी में वीटो की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अभी हम इस मामले में दो तरह का बर्ताव कर रहे हैं। एक तो बड़ी-बड़ी स्टेट्स हैं जो पूरी तरह से अपना काम देख रही हैं और 4-6 स्टेट्स ऐसी हैं जहां यूनियन टैरिटरी के तौर पर काम चलाया जाता है। वहां उपराज्यपाल हैं, चीफ-सेक्रेटरी हैं और ज्यादातर हुकूमत वहां सेंटर के जरिए, होम-मिनिस्ट्री के जरिए चलाई जाती है। इस तरीके से स्टेट का पूरा डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। वहां जो भी डेवलमेंट के प्लान हैं, वे पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सकते हैं। उपराज्यपाल वहां कुछ दिनों के लिए जाते हैं। उनका कोई परमानेंट इंट्रस्ट उस यूनियन टैरिटरी में नहीं होता क्योंकि वह तो उनका एक टर्म है, उस टर्म के बाद उनकी पोस्टिंग किसी दूसरी जगह हो जाएगी। वे उस स्टेट की उतने अच्छे तरीके से हिफाजत या देखभाल नहीं कर सकते जितना कि वहां कि जनता द्वारा चुनी हुई हुकूमत कर सकती है। जो लोग बाहर से वहां जाते हैं उनको उस जगह से उतना लगाव नहीं हो सकता। वे तो एक तरीके से अपनी ड्यूटी निभाने वहां जा रहे हैं। लेकिन जो वहां के चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनको तो अपने लोगों से, अपनी जमीन से, अपनी स्टेट से लगाव होता है। जो बाहर के लोग वहां डेप्यूट किए जाते हैं किसी खास पीरियड के लिए, उनको उस स्टेट में ज्यादा इंट्रस्ट नहीं होता है इसलिए वे उस इलाके का इंट्रस्ट पूरी तरह से नहीं देख सकते हैं। जैसा कि कई सदस्यों ने जिक्र किया है, आबादी के हिसाब से, ऐरिया के हिसाब से कई जगहें ऐसी हैं जो पांडेचिरी से किसी तरीके से बड़ी नहीं हैं, बल्कि छोटी हैं लेकिन उनको हमने स्टेट का दर्जा दिया है।

अभी मैं सुन रहा था कि एक ओर तो हिन्दुस्तान में कुछ बड़ी-बड़ी स्टेट्स हैं जैसे उत्तर प्रदेश है। वह बड़ी स्टेट है कि उसको ठीक तरह से संभालना कठिन है। पूरब वाले अपना इंट्रस्ट देखते हैं, पश्चिम वाले अपना इंट्रस्ट देखते हैं और हर तरीके की परेशानी रहती है। हुकूमत लखनऊ में है तो हाई-कोर्ट इलाहाबाद में है और लोगों को तमाम परेशानियां होती हैं।

मैं चाहता हूं कि स्टेट्स का रिआर्गेनाइजेशन हो । मैं यह नहीं कहता कि बहुत छोटी स्टेट्स बनें लेकिन ऐडमिनिस्ट्रेटिवली कामयाब हो सकें, ऐसी स्टेट्स बननी चाहिए। आप जानती हैं कि हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश कभी एक हुआ करते थे। उस वक्त डेवलपमेंट हुआ, उससे कई गुना ज्यादा डेवलपमेंट हरियाणा और पंजाब के बाइफरकेशन के बाद हुआ। इसलिए हमें फिर से रिआर्गेनाइजेशन कमीशन बिठाना चाहिए जो स्टेट्स को ठीक से बांटे। मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि पांडिचेरी को क्यों यूनियन-टैरिटरी बना रखा है। क्या इसमें पांडिचेरी का फायदा है या हिंदुस्तान की हुकूमत का फायदा है? हर पार्टी इस बात की हिमायत कर चुकी है कि इसको स्टेट का दर्जा दिया जाए। जो लोग आज हुकूमत में बैठे हैं वह भी एक टाईम यह सोचते थे कि पांटिचेरी को स्टेटहुड मिलना चाहिए। इसमें मुझे कुछ मसलिहत नजर नहीं आ रही है, इसमें मुझे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। न सेंटर का फायदा है, न स्टेट का फायदा है तो ऐसी चीजों को हम क्यों कंटीन्यू कर रहे हैं, क्यों नहीं स्टेटहुड ग्रांट करते हैं। मैं इसके साथ नारायणसामी जी के इस बिल को सपोर्ट करता हूं और आपने मुझे टाईम दिया इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

SAHRI K. RAHMAN KHAN (KARNATAKA): Madam, I support the Bill moved by hon. Member, Mr. Narayanasamy, about Statehood to Pondicherry. Pondicherry has its own history and the people of Pondicherry have their own culture. There they speak Tamil but still they maintain their own culture which they have inherited for the last 300 years. We are a Federal State and there should not be a system where the Centre will administer certain territories. This is the basic concept of our Constitution. The people of Pondicherry have been demanding Statehood right from 1970. We must appreciate them that they have not started an agitation. They are pursuing with the Centre and it has become the duty of the Centre to respect the sentiments of the people of Pondicherry. For all practical purposes, the people of Pondicherry elect their representatives to the Assmebly and the Assembly elects its Chief Minister. The entire system is already prevalent and there is nothing which the Centre has to do except to grant Statehood and instead of posting a Lieutenant governor, they will have to post a Governor. Now, the question which is often raised is why Statehood

should be given to a small territory consisting of 10 lakh population. Population has never been consideration for granting Statehood. If population is the only consideration, probably, we would not have created so many States in the North Eastern region. It is a strategy or it is more particularly to support the aspirations of the people. A small State also will be able to contribute and raise resources, better than a bigger State. They will be able to tackle their problems in a better way than any large State where we are seeing how problematic they are. By giving Statehood to Pondicherry, Pondicherry could be developed as a viable sector for attracting NRIs and foreign capital. It has got all the potential to develop into a very good centre for industrialisation.

Pondicherry has a lot of natural resources. As you know, the ONGC had found oil wells there. I am referring to the Cauvery Basin in Karaikal. Therefore, the question that they would not be able to raise their own resources does not arise.

Another thing is: why should a large population, a population of one million, living far away from Delhi, be dependent on Delhi for everything? A pertinent question was asked by Dr. Ranbir Singh. He asked: 'Why is Statehood not being granted to Pondichery?; What the Centre is going to gain by not giving Statehood to Pondicherry?'

Madam, the concept of Union Territories should go. The scheme of Union Territories has no place in our federal system, particularly, when we are thinking of giving powers to the people. It was towards this end that the Panchayati Raj system was introduced. Today, the concept of village as the unit of administration is being developed. When such thinking is there, why should not Pondicherry be fonferred Statehood?

Tjherefore, I support the Bill moved by Mr. Narayanasamy. I would request the Central Government to grant Statehood to Pondicherry, as it is the policy of the present Government to examine the demands of various States, based on the aspirations of the local people. Thank you.

PROF. NAUNIHAL SINGH (UTTAR PRADESH): Madam Vice-Chairman, this is a very important matter which has come before this House.

Madam, Pondicherry was under the French rule for three hundred years. In 1954, there was a *de facto* transfer of Pondicherry to the Indian Union In 1964, there was a *de jure* transfer. Right from 1954, there has been a representative Assembly. In 1954, the new Assembly under the Union Territories Act was formed.

The Union Territory consists of Pondicherry and karaikal, near Tamil Nadu; Mahe, near Kerala; and Yanam, near Andhra Pradesh. The total population is about ten lakhs. The Assembly has 30 constituencies. The Cabinet consists of 6 Ministers, including the Chief Minister. The Lt. Governor is the Head of the state. It is surprising,m Madam, that the civil servants are recruited by the Home Ministry, up to the level of IAS officers; the lower grade officers are appointed at the State level. Right from 1970 till date, the Pondicherry Legislative Assembly has been passing resolutions for the grant of Statehood to the Union territory but so far, since then, the Gqvernment of india has not acted upon them.

The peculiar feature of the Administration is that the total Administration is controlled by the Home Ministry. The Lieutenant governor is all-powerful. Whatever decision is taken by the Council of Ministers is to be ratified by the Lieutenant Governor. The Lieutenant Governor has the veto power as well. Therefore, the elected representatives have no legal sanction, though the will of the people is to prevail in any democracy. Under sections 24 and 25 of the Union

Territories Act, the Lieutenant Governor is all-powerful. The Chief Minister and the Council of Ministers have to be under the mercy of the Lieutenant Governor.

The IAS officers are running a parallel Government because they have no accountability to the State since they are controlled by the Home Ministry. So, actually they are not interested in the welfare of the people and in running the Union territory in a very nice manner, as it should be, for the welfare of the people.

A lot of development has taken place in Pondicherry. Industries are coming up. Though we are generating funds by way of excise duties and sales tax, the entire money is being taken away by the Central Government. Madam, it appears that in this matter the Central Government is functioning like the British rule—the Britishers who used to take away all the incomes accrued through various taxes from the people but hardly employed them in the various activities and projects for the welfare of the people—and the contribution to the State's exchequer is quite negligible. There is a theory floated by the Government of India, suggesting that if it is a Union territory, it would be getting more funds. But this is a hoax. That is not the case as far as Pondicherry is concerned. We have attained buoyancy as far as revenue collections are concerned. Whatever matching grant the Government of India gives, that itself is sufficient for us to run the Administration. Pondicherry is a model State where more power should be given to the elected representatives, making bureaucrats accountable to the people. We will further improve the face of administration withoug being controlled by the Home Ministry.

We will have our own Staff Selection Commissionm, Election Commission and Finance Commission for the purpose of coantrolling the Administration. Now it is not possible.

as far as administration is concerned, the Government servants in the State have to suffer because no new post can be created or no promotion can be given without the consent of the Government of India. Almost all the Government officials are affected by the existing pay anomalies. They are unable to solve them for reasons best known to them.

Hence there is no motivation in the present Government servants. Therefore, the people of Pondicherry and all the political parties feel that it is high time that Statehood is granted to the Union territory of Pondicherry and the Government of India should agree for the same.

Therefore, Madam, I strongly suuport the State of Pondicherry Bill, 1992, moved by hon. Shri V. Narayanasamy, Member of this august House. This Bill is very important and Statehood for Pondicherry should be conceded by the Government of India without any hitch and hassle.

Thank you.

डा० जगन्नाथ मिश्र (बिहार): महोदया, वी० नारायणसामी जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, उसका बड़ा ही सामयिक महत्व है। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को उत्तराखंड की जनभावनाओं को देखते हुए उत्तराखंड राज्य बनाने की घोषणा की है, भारत सरकार ने एक नया राज्य बनाने का जिम्मा लिया है, उस संदर्भ में पांडिचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, यह मामला बनता है। एक माननीय सदस्य ने यह बताया कि 1954 से लगातार यह यूनियन टैरोटरी है और उसे जो अधिकार अब तक दिये गये हैं वहां के जनप्रतिनिधियों को जो शक्तियां दी गई हैं, वह लोकतांत्रिक ढांचे के लिए लोकतांत्रिक अवधारणा के लिए दुखद हैं। जनप्रतिनिधियों को अधिकार नहीं हो, वहां के मुख्य मंत्री, वहां की मंत्री-परिषद् वहां के उपराज्य की मर्ज़ी पर, दया पर हों, उनके निर्णय किसी भी समय निरस्त किये जाएं उपराज्यपाल के माध्यम से, यह लोकतंत्र के लिए शर्मनाक स्थिति है। यही पांडिचेरी के बारे में कहा जा रहा है। पांडिचेरी की तरह दूसरे राज्य भी यूनियन टेरीटरीज़ के रूप में थे। उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया चाहे वह मणिपुर का मामला हो। चाहे त्रिपुरा का मामला हो, चाहे अरूणाचल का मामला हो, चाहे

मेघालय का मामला हो, चाहे गोआ का मामला हो। यह सभी पहले केन्द्र शासित प्रदेश थे, यूनीयन टेरीटरीज़ थे। जब इनको राज्य का दर्जा दिया गया तो कोई कारण नहीं है। कोई औचित्य नहीं है कि पांडिचेरी को राज्य का दर्जा न दिया जाए। इस समय क्या स्थिति है? पांडिचेरी में उद्योग लग रहे हैं। वहां पर विकास के काम हो रहे हैं। परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उनके अपने जो आन्तरिक आय के स्रोत हैं, वे सभी केन्द्र सरकार के पास आते हैं और गृह मंत्रालय का अधिकार निक व्यापक है कि राज्य शासन या यूनीयन टेरीटरी जो वहां है वह काम कर रही ही नहीं सकती। जन प्रतिनिधियों का कोई अधिकार वहां पर बनता नहीं है। जो वित्त आयोग की ओर से अनुशंसाएं की जाती हैं अनुच्छेद 275 के अन्तर्गत, उनसे भी पांडिचेरी को वंचित होना पड़ता है। जो आमदनी होतीह वह भी पर्याप्त हो, अगर वह पूर्ण रूप से उसके अधीन होता खर्च करने के लिए, अन्य राज्य की तरह उसे केन्द्रय करों में हिस्सा दिया जाता और अन्य राज्यों की तरह धारा 275 के अन्तर्गत अनुदान दिया जाता तो पांडिचेरी की स्थिति आज बेहतर होती, अच्छी होती। इसलिए जो स्वामी जी ने विधेयक प्रस्तुत किया है आज की परिस्थितियों में बड़ा की महत्वपूर्ण है। पांडिचेरी को राज्य का पूर्ण दर्जा दिया जाए और दूसरे राज्यों की तरह से उसे भी कार्य करने दिया जाए। वहां की आबादी 10 लाख से ज्यादा है वहां भी पंचायती राज्य व्यवस्था लाई जा रही है। वह भी देश की मुख्य धारा के साथ बराबरी का सांझेदार हो सके और वहां के जन-प्रतिनिधियों को यह मालूम पड़े कि देश के अन्य नागरिकों की तरह ही अधिकार का उपयोग कर रहे है जैसा आप सब कर रहे हैं। इसलिए आज जो भेद-भाव इस समय पांडिचेरी के साथ चल रहा है, वह उचित नहीं है।

दूसरी बात हम यह कहना चाहते हैं कि 1956 में राज्यों को पुनर्गठन हुआ था। आज काफी दिन बीते गये, लगभग 40 साल हो चुके हैं, आज की परिस्थिति में ऐसी भावनाएं देश में उभर रही हैं इसलिए इस विधेयक का समर्थन करते हुए हम भारत सरकार का ध्यान, प्रधानमंत्री जी का ध्यान राज्यों के पुनर्गठन के विषय पर खींचना चाहते हैं। आज विभिन्न राज्यों में इस बात की मांग हो रही हैं कि राज्यों का पुनर्गठन किया जाए चाहे वह पश्चिमी बंगाल हो, चाह महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हों। इन सभी राज्यों में नये सिरे से राज्यों की मांग की जा रही है। बिहार में झारखंड आन्दोलन काफी दिनों से चल रहा है। राज्यों के पुनर्गठन का मामला है, आज सारे देश के राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होना चाहिये। जो जन भावनाएं हैं, क्षेत्रीय स्तर पर लोग अपना विकास चाहते हैं जो बड़े राज्यों की वजह से हर क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता है, उसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को विचार करना चाहिये। एक शक्ति संपन्न राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाए। (व्यवधान)

श्री नीलोत्पल बसु: एक मिनट।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा) क्या बात है?

SHRI NILOTPAL BASU: Will we continue after five o'clock?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Yes.

SHRI NILOTPAL BASU: Till?

THE VICE-CHAIRMAN (SMT. KAMLA SINHA): if the Minister is ready to reply today and if Members agree to sit for a little while more, we can finish it today.

SHRI V. NAYARANASAMY: Madam, I want that the Home Minister should reply to this. This is the demand I made in this House.

SHRI NILOTPAL BASU: madam, there is a convention that after 5 o' clock, we do dot take up a Private Member's Bill.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): आप कितना समय लेंगे?

डा० जगन्नाथ मिश्र: हमारे भाषण को अगले दिन जारी रखा जाए। हमारे भाषण के बाद ही गृह मंत्री जी का भाषण हो।

THE VICE-CHAIRMAN (SMT. KAMLA SINHA): You are of your legs. You will continue next time. The House is adjourned till 11 a.m. on 2nd September, 1996.

The House then adjourned at one minute past five of the clock till eleven of the clock on Manday, the 2nd September, 1996.